मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

विभागीय प्रशासकीय
प्रतिवेदन
2006–2007

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2007

मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता संरक्षण विभाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2006–2007

प्रभारी मंत्री	श्री गोपाल भार्गव
प्रमुख सचिव	डॉ. ए. एन. अस्थाना
सचिव	श्री जी. के. श्रीवास्तव
उप सचिव	श्री ए. के. जैन
अवर सचिव	सुश्री सुषमा शर्मा (दिनांक 18.10.06 तक) श्री एल.पी. जैन (दिनांक 8.11.06 से)
विभागाध्यक्ष	श्री प्रभांशु कमल (दिनांक 24.9.2006 तक) श्री के.पी. सिंह (दिनांक 2.1.2007 से) आयुक्त सह संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री ए.के. सिंह (दिनांक 05.6.2006 तक) श्री योगेन्द्र शर्मा (दिनांक 06.06.2006 से) नियंत्रक, नाप तौल

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2007

<u>विषयानुक्रमाणिका</u>

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	2	3
1	प्रस्तावना	1
2	विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम	1
3	विभाग के अंतर्गत आने वाले संचालनालय, आयोग तथा निगम	1
4	संचालनालय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	2 से 12
	<u>प्रमुख गतिविधियां</u>	3
	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	3
	प्रदाय व्यवस्था	3
	केन्द्र से राज्य के खाद्यान्न एवं शक्कर का आवंटन	4
	उचित मूल्य दुकाने	4
	राशनकार्ड	4
	अन्त्योदय अन्न योजना	4
	पहुंचविहीन क्षेत्रों में भण्डारण	5
	पेट्रोलियम पदार्थो का वितरण	5 से 6
	पायलेट प्रोजेक्ट जन केरोसीन परियोजना	6
	निरीक्षण, निगरानी, आडिट, जनभागीदारी	6 से 7
	सिटीजन चार्टर	7
	सूचना का अधिकार	7 से 8
	आवश्यक वस्तु अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी	— 8
	निगरानी, मूल्य नियंत्रण एवं निरीक्षण तथा छापे	8 से 9
	समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन	9 से 10
	चावल उपार्जन	10
	उपभोक्ता संरक्षण	11
	दुकान—सह—गोदाम का निर्माण	11
	आयोडीनयुक्त नमक का वितरण	11
	संसदीय कार्य	11
	न्यायालयीन प्रकरण	12
	महिला नीति 2003—2007	
5	नापतौल (विधिक माप विज्ञान) स्थापना	12 से 15
	राजस्व आय	13
	अपराधों का पंजीयन	14
	अनुज्ञप्तियां	14
	न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति	14
	संसदीय कार्य	15
	नापतौल कार्यालय का बजट	15

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	2	3
6	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग	16 से 18
7	विभाग का बजट	18 से 20
8	म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन	21 से 22
9	म.प्र.वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक कार्पोरेशन	22 से 25
10	परिशिष्ट–एक(प्रदेश में स्थित भा. खा. निगम के बेस डिपो)	26 से 27
11	परिशिष्ट–दो (प्रदेश में स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के जिलेवार प्रदाय केन्द्र)	28 से 29
12	परिशिष्ट–तीन (प्रदेश में लीड एवं लिंक समितियों की संभागवार/जिलेवार जानकारी	30 से 31
13	परिशिष्ट–चार (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों से वितरित की जाने वाली वस्तुओं की वर्तमान में उपभोक्ता दरें)	32
14	परिशिष्ट–पांच (खाद्यान्न आदि की प्रदाय मात्रा)	33
15	परिशिष्ट–छः (उचित मूल्य दुकानें)	34 से 35
16	परिशिष्ट–सात (प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डो की जानकारी)	36 से 37
17	परिशिष्ट–आठ (अन्त्योदय अन्न योजना प्रदाय कार्ड–मूल एवं विस्तारित प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण)	38 से 39
18	परिशिष्ट–नौ (प्रदेश में गत वर्षो की तुलना में मिट्टी तेल के आवंटन/उठाव की वर्षवार स्थिति)	40
19	परिशिष्ट–दस (पेट्रोलियम कंपनियों के पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा एल.पी.जी. डीलर्स की जानकारी)	41
20	परिशिष्ट–ग्यारह (केरोसीन डिपों की जानकारी)	42
21	परिशिष्ट–बारह (पेट्रोलियम कंपनियों के एल.पी.जी. बांटलिंग प्लांट)	43
22	परिशिष्ट–तेरह (जन केरोसीन परियोजना)	44
23	परिशिष्ट–चौदह (समर्थन मूल्य के अंतर्गत खाद्यान्न खरीदी की दरों की तुलनात्मक जानकारी)	45
24	परिशिष्ट–पन्द्रह (समर्थन मूल्य के अंतर्गत खाद्यान्न उपार्जन)	46

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	2	3
25	परिशिष्ट–सोलह (प्रदेश में चावल उपार्जन के आंकड़े)	47
26	परिशिष्ट–सत्रह (प्रदेश में कार्यरत जिला उपभोक्ता विवाद फोरम की जानकारी)	48
27	सारांश	49

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

<u>प्रस्तावनाः–</u>

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत दो विभागीय स्थापनायें– यथा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा नाप–तौल, सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग को भी उपभोक्ता फोरमों के कार्य पर्यवेक्षण के लिये विभागाध्यक्ष के अधिकार दिये गये हैं। विभाग को सौपें गये दायित्व इन स्थापनाओं के माध्यम से संपादित किये जाते हैं।

विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय निम्नानुसार हैंः–

(1) खाद्यान्नः–

(क) मूल्य और बाजार सूचना (ख) प्राप्ति (ग) संग्रहण (स्टोरेज) (घ) राज्य में और राज्य के बाहर संचलन (ड़) वितरण जिसमें राषनिंग सम्मलित है।

(2) खाद्य पदार्थ, उदाहरणार्थः– खाद्यान्न, शक्कर, खाद्य तेल–मूल्य, संचलन और वितरण।

(3) नमक–मूल्य, संचलन और वितरण

(4) खाद्यान्न, शक्कर, गुड़, नमक, बिनौला और खली प्रभावी अन्य नियंत्रण

(5) गृह, कृषि और वाणिज्य तथा उद्योग विभागों से संबंधित पण्य वस्तुओं को छोडकर अन्य पण्य वस्तुओं पर नियंत्रण का प्रषासन।

(6) परिवहन–उन समस्त आवष्यक पण्य वस्तुओं का प्रयोजक परिवहन, जिनके संबंध में विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है।

(7) अन्य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोडकर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम और अत्यधिक ज्वलषील पदार्थों की बिक्री और वितरण पर नियंत्रण।

(8) (क)नियंत्रित कपड़े का नियंत्रण और वितरण (ख) सीमेन्ट नियंत्रण, वितरण और संचलन (ग) डीजल पेट्ोल और मिट्टी के तेल का वितरण।

(9) खाद्यान्न मिलिंग (Milling)उद्योग

(10) थोक और फुटकर मूल्यों का संकलन

(11) बॉट और माप

(12) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन राज्य में उपभोक्ताओं की षिकायतों का प्रतितोष।

विभाग द्वारा प्रषासित अधिनियम और नियम

1. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955
2. पेट्रोलियम अधिनियम 1934
3. नाप–तौल अधिनियम 1959
4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

विभाग के अंतर्गत आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय

विभाग के अधीन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नियंत्रक नापतौल, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन व मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम कार्यरत हैं।

संचालनालय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

संचालनालय के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैः–

1. उपभोक्ताओं को खाद्यान्न, शक्कर, केरोसीन आदि आवश्यक वस्तुऐं उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से नियत दरों पर उपलब्ध करवाना।
2. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कियान्वयन। केन्द्र से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न आवंटनों का जिलेवार विभाजन जारी करना एवं उसकी समीक्षा।
3. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत बने नियंत्रण आदेशों का परिपालन।
4. घोषित समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान, ज्वार, मक्का, तथा बाजरा के उपार्जन की व्यवस्था कराना ताकि कृषकों को उपज का उचित मूल्य मिल सके।
5. मध्यप्रदेश चावल अधिप्राप्ति (उद्ग्रहण) आदेश, 1970 के प्रावधान के अनुरूप लेव्ही चावल का उपार्जन।
6. विभाग की ओर से विधिक एवं बजट नियंत्रण संबंधी समस्त कार्य।

स्थापना – मुख्यालय

राज्य पुर्नगठन के उपरान्त संचालनालय में निम्नानुसार पद स्वीकृत हैं :–

1	संचालक	1
2	संयुक्त संचालक	1
3	उप संचालक	2
4	उप संचालक लेखा	1
5	सहायक संचालक	3
6	तृतीय वर्ग कर्मचारी	61
7	चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	13

जिला खाद्य कार्यालय

1	जिला आपूर्ति नियंत्रक	7
2	जिला आपूर्ति अधिकारी	34
3	सहायक आपूर्ति अधिकारी	145
4	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	401
5	लिपिक वर्गीय कर्मचारी	244
6	चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	123

पदक्रम सूची की स्थिति

विभाग में निम्नानुसार पदक्रम सूचियां श्रेणीवार जारी की गई हैः–

(1) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों की पदक्रम सूची दिनांक 1.4.2006 की स्थिति में जारी की जा चुकी है।

(2) संचालनयलयीन स्थापना लिपिकीय (तृतीय श्रेणी) एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदक्रम सूची दिनांक 1.4.2006 की स्थिति में जारी की जा चुकी है।

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की स्थिति

तृतीय वर्ग कार्यपालिक पदों के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 4.1.2006 को बैठक आयोजित की गई। समिति के अनुशंसा अनुसार पदोन्नति संबंधी आदेश जारी किये जा चुके हैं तथा संचालनालयीन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 14.12.2006 को आयोजित की गई। समिति की अनुशंसा अनुसार पदोन्नति संबंधी आदेश जारी किये जाने जारी किये जा चुके है।

प्रमुख गतिविधियां

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

उपभोक्ताओं को खाद्यान्न, शक्कर, मिट्टी तेल आदि वस्तुऐं उचित दर पर उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु भारत शासन के निर्देशो के अनुसार 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' दिनांक 01.06.97 से क्रियाशील है।

प्रदाय व्यवस्था

प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के 39 बेस डिपो स्थापित हैं। 25 बेस डिपो से ए.पी.एल. व बी.पी.एल. खाद्यान्न तथा 14 बेस डिपो से बी.पी.एल. खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है। (परिशिष्ट 'एक ')

राज्य शासन की एजेन्सी के रूप में मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन द्वारा खाद्यान्न बेस डिपो से एवं शक्कर कारखानों से शक्कर उठाकर अपने 187 प्रदाय केन्द्रों (परिशिष्ट 'दो') के माध्यम से 369 लीड एवं 5776 लिंक समितियों को उपलब्ध कराता है। लीड व लिंक समितियों का संभागवार विवरण (परिशिष्ट 'तीन') में उल्लेखित है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश को केन्द्र शासन से प्रतिमाह गेहूं/चावल/शक्कर/मिट्टी तेल का आवंटन प्राप्त होता है। केन्द्र शासन की प्रदाय दरों में अनुषांगिक व्यय जोड़कर राज्य शासन द्वारा खाद्यान्न, शक्कर एवं केरोसीन की उपभोक्ता दरें निश्चित की जाती हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों से वितरित की जाने वाली वस्तुओं की उपभोक्ता दरें (दि. 31.12.2006 की स्थिति) परिशिष्ट 'चार' में दी गई हैं

केन्द्र से राज्य को खाद्यान्न एवं शक्कर का आवंटन

माह जनवरी 2007 की स्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रतिमाह निम्नानुसार आवंटन प्राप्त हो रहा है :–

(मात्रा मे.टन में)

खाद्यान्न	ए.पी.एल.	बी.पी.एल.	अन्त्योदय	योग
गेहूं	4740	61510	46179	112429
चावल	58570	28106	8578	95254
शक्कर	–	12509.4		12509.4

खाद्यान्न/शक्कर की प्रदाय मात्रा विवरण परिशिष्ट ''पांच'' में दर्शित है।

उचित मूल्य दुकानें

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए दिनांक 01.03.92 से सहकारीकरण किया गया है। दिनांक 31.12.2006 की स्थिति में 20476 दुकानें संचालित हैं जिनमें से 3903 शहरी क्षेत्रों में तथा 16573 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। सहकारी क्षेत्र में चलने वाली उचित मूल्य की दुकानों को हानि की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने मापदण्ड नियत किये है तथा हानि की प्रतिपूर्ति के लिए बजट में प्रतिवर्ष प्रावधान किया जाता है। इस वर्ष रूपये 70,00,00,000/– का प्रावधान है। उचित मूल्य दुकानों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'छह' में है।

राशनकार्ड

उपभोक्ताओं को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुऐं उपलब्ध कराने की दृष्टि से राशनकार्ड प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) एवं केन्टोनमेन्ट बोर्ड को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत राशनकार्ड बनाने के अधिकार हैं।

वर्ष 1991 तथा 1997–98 की सर्वे सूची के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले (बी.पी.एल.) परिवारों को राशनकार्ड प्रदाय किए जा चुके हैं। दि 31.12.2006 की स्थिति में प्रदेश में 9068708 ए.पी.एल. (सामान्य) राशनकार्ड तथा 4432250 बी.पी.एल. राशनकार्ड हैं। प्रदेश में ए.पी.एल, बी.पी.एल एवं अन्त्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड नये सिरे से जारी किये जाने की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश में बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. परिवारों को जारी किए गए राशनकार्डो की जिलेवार जानकारी परिशिष्ट ' सात' पर है।

अन्त्योदय अन्न योजना

यह योजना अति गरीब परिवारों के लिये दिनांक 6.3.2001 से प्रदेश में लागू की गई है। अति गरीब परिवारो को रू. 2.00 प्रति किलो गेहूं एवं रू. 3.00 प्रति किलो चावल के मान से 35 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार, प्रति माह प्रदाय किया जा रहा है। योजनांतर्गत जनवरी, 2006 तक चार चरणों को मिलाकर प्रदेश के लिये 1581565 हितग्राहियों का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान संख्या में इस योजनांतर्गत 1556319 हितग्राही है, जिनके लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह के मान से वर्तमान में 54757 मे.टन खाद्यान्न का प्रतिमाह आवंटन भारत शासन से प्राप्त हो रहा है। इस योजना पर समस्त आनुषांगिक एवं परिवहन व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। इस हेतु चालू वित्तीय वर्ष में रू. 35,00,00,000/– का प्रावधान स्वीकृत है। अन्त्योदय अन्न योजना में जिलेवार चयन सीमा एवं जारी किए गए राशनकार्डो की जानकारी परिशिष्ट 'आठ ' पर है।

शेष परिवारों के चयन एवं राशनकार्ड वितरण करने की प्रक्रिया प्रचलित है।

पहुंचविहीन क्षेत्रों में भंडारण

प्रदेश के ऐसे स्थानों, जिनके आवागमन मार्ग वर्षा ऋतु के दौरान अवरूद्ध हो जाते हैं, में खाद्यान्न, शक्कर तथा केरोसीन उपभोक्ताओं को सुलभ कराने की दृष्टि से वर्षा ऋतु के पूर्व ही संग्रहण किया जाता हैं । शासन द्वारा सहकारी समितियों को इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुऐं चार माह के लिए संग्रहित करने हेतु बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2006–07 में 1649 पहुंचविहीन केन्द्र के लिए बिना ब्याज का ऋण राशि रूपये 21,04,48,000/– उपलब्ध कराया गया है।

पेट्रोलियम पदार्थो का वितरण

केन्द्र शासन से प्रतिमाह 52320 के.एल. मिट्टी के तेल का आवंटन प्राप्त हो रहा है, जो चार तेल कंपनियों द्वारा थोक विक्रेताओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल उचित मूल्य दुकानों, फुटकर विक्रेताओं एवं हॉकर्स के माध्यम से उपलब्ध होता है। हाट बाजारों में बिना राशनकार्ड के भी मिट्टी का तेल प्रदाय किया जाता है। इसके अतिरिक्त चलित उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश में मिट्टी तेल आयल कंपनी द्वारा 311 एवं जन केरोसीन के अंतर्गत स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के द्वारा 28 थोक विक्रेता, 614 सेमी होलसेलर, 1640 फुटकर केरोसीन अनुज्ञप्तिधारी तथा 1995 हॉकर्स कार्यरत हैं। मिट्टी के तेल के गत 05 वर्षो के तुलनात्मक आवंटन/उठाव की जानकारी परिशिष्ट 'नौ' में है।

उपभोक्ताओं को केरोसीन की सरल और सुगम उपलब्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केरोसीन के थोक विक्रेता अपने टैंकर्स से शासकीय उचित मूल्य दुकानों को सीधे केरोसीन उपलब्ध कराते हैं। यह योजना इंदौर, भोपाल एवं जबलपुर में अगस्त 1993 से प्रभावशील है।

तेल कंपनियों की प्रदाय दरों के आधार पर क्षेत्र विशेष के लिये परिवहन व्यय आदि जोड़कर उपभोक्ता क्रय दरें कलेक्टरों द्वारा निर्धारित की जाती है। राज्य में केरोसीन की उपभोक्ता दर रूपये 8.86 पैसे से रूपये 9.97 पैसे प्रतिलीटर तक हैं। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राशनकार्ड पर कम से कम 4 लीटर तथा नगरीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राशनकार्ड पर 4 लीटर प्रदाय किया जाता है। भारत शासन के निर्देशानुसार एल.पी.जी. के डबल बाटल कनेक्शनधारी को केरोसीन नहीं दिया जाता है, जबकि सिंगल बाटल कनेक्शनधारी उनके राशनकार्ड पर उक्त निर्धारित मात्रा से आधी मात्रा में केरोसीन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बिना राशनकार्ड के उपभोक्ता को फ्रीसेल पर 2 लीटर प्रति व्यक्ति केरोसीन उपलब्ध कराया जाता है। उपभोक्ताओं को समय पर केरोसीन उपलब्ध कराने हेतु थोक केरोसीन विक्रेताओं को उन्हें आवंटित मात्रा को माह की 10 तारीख तक 60 प्रतिशत, 17 तारीख तक 85 प्रतिशत तथा 25 तारीख तक शतप्रतिशत उठाव के निर्देश हैं। राज्य में केरोसीन उपभोक्ताओं को सही दर एवं मात्रा में उपलब्ध कराने के लिये नियमित जांच एवं विशेष जांच अभियान चलाया जाता है। उचित मूल्य दुकान स्तर पर इसकी निगरानी के लिये जनप्रतिनिधि (सरपंच/पार्षद) की अध्यक्षता में निगरानी समिति भी बनाई गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केरोसीन के दुरूपयोग रोकने हेतु राज्य शासन द्वारा वर्ष 2004 में केरोसीन टैंकरों पर नीले रंग की पट्टी में लगाने के निर्देश दिये गये हैं एवं पालन कराया जा रहा है।

प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों का वितरण 1592 पेट्रोल एवं डीजल पम्पों तथा 500 एल.पी. जी. डीलर्स के माध्यम से उपभोक्ताओं को कराया जाता है। कंपनीवार विवरण तथा एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट की जानकारी क्रमशः परिशिष्ट दस, 'ग्याराह' तथा 'बारह' में दी गई है।

पायलट प्रोजेक्ट जन केरोसीन परियोजना

भारत सरकार पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट जन केरोसीन परियोजना दिनांक 2.10.2005 से लागू की गई है। प्रदेश में 48 जिलों में से 25 जिलों के 31 विकासखण्डों का चयन किया गया है।

चयनित विकासखण्डों में से 28 विकासखण्डों में जन केरोसीन परियोजना संचालित है। इस परियोजना अतंर्गत संचालित स्थानों में आयल कम्पनी के डीलर्स अपने कारोबार स्थल पर

केरोसीन भूमिगत् टैंक में प्राप्त करके डिस्पेंसिग यूनिट से प्रदाय करते है। यह केरोसीन ड्रमों के माध्यम से उचित मूल्य की दुकान तक पहुचानें का प्रावधान है। इस परियोजना में 18 स्थानों पर आयल कम्पनी के निजी थोक डीलर तथा 10 स्थानों पर म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन थोक डीलर के रूप में कार्यरत् है। विवरण परिशिष्ट तेराह में दर्शित है।

निरीक्षण, निगरानी, ऑडिट, जनभागीदारी

सभी कलेक्टरों से अपेक्षा की गई है कि राजस्व, सहकारिता एवं खाद्य विभाग के अमले को सम्बद्ध करते हुए निरीक्षण रोस्टर तैयार करावे और सुनिश्चित करे कि प्रत्येक उचित मूल्य दुकान का दो माह में कम से कम एक बार निरीक्षण हो तथा एक ही अधिकारी द्वारा किसी दुकान के निरीक्षण की अगले माह पुर्नरावृति न हो ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए जिला स्तर पर निगरानी के अधिकार जिला कलेक्टर को सौंपे गये हैं। इस समिति के सदस्य सचिव जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी हैं। विकासखण्ड स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली निगरानी समितियों के गठन की व्यवस्था है, जिसके अध्यक्ष जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सदस्य सचिव होते हैं। समिति द्वारा माह में एक बार अथवा आवश्यकतानुसार बैठक बुलाई जा सकती है।

प्रत्येक उचित मूल्य दुकान स्तर पर सतर्कता समिति गठित है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस समिति के अध्यक्ष सरपंच ग्राम पंचायत एवं संयोजक पंचायत सचिव होते हैं। नगरीय क्षेत्रों में इस समिति के अध्यक्ष पार्षद होते हैं। समिति यह सुनिश्चित करती है कि दुकान पर पहुंची हुई सामग्री का प्रमाणीकरण, उचित मूल्य दुकान पर विहित विवरण प्रदर्शित किए जाते हैं, दुकानें निर्धारित दिन एवं समय पर खुलती हैं, दुकानदार द्वारा आवंटन के अनुसार सामग्री प्राप्त कर निर्धारित मात्रा में पात्र व्यक्तियों को प्रदाय की जाती है एवं अन्त्योदय अन्न योजना के खाद्यान्न एवं नीले केरोसीन की प्राप्ति एवं वितरण की समीक्षा, उपभोक्ताओं से समुचित व्यवहार किया जाता है।

जिला स्तर पर प्राप्त आवंटन व जिले में अनुविभाग/तहसीलवार पुनरावंटन की सूचना संबंधित क्षेत्र के समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित की जाती है। इसके साथ ही क्षेत्रीय सांसद, विधायक तथा संबंधित संस्थाओं को भी आवंटन की प्रति दी जाती है।

सिटीजन चार्टर

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग कृतसंकल्पित है कि नागरिकों के लिए उत्तरदायी और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध हो। विभाग द्वारा विगत वर्षो में विभाग द्वारा सिटीजन चार्टर का प्रकाशन कर सफलतापूर्वक कियान्वयन किया गया है। प्राप्त अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए इस सिटीजन चार्टर को और अधिक जनोपयोगी बनाने के लिए परिष्कृत किया गया है।

इसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः–

1. पारदर्शिता – विभाग की कार्यवाहियों में पारदर्शिता लाने के लिए पंचायतों एवं स्थानीय संस्थाओं को हितग्राहियों के चयन एवं राशनकार्ड जारी करने के अधिकार

दिए गए है।

2. आवश्यक वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक निर्देश ।

3. दुकानों की व्यवस्था, राशनकार्ड एवं खाद्यान्न वितरण करने के लिए समय–सीमाएं निर्धारित की गई है तथा प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही का निर्धारण किया गया है।

4. सूचना का अधिकार – उचित मूल्य दुकानों तथा आवंटन उठाव से संबंधित जानकारियां प्रदाय करने के लिये समय–सीमा एवं दायित्वों का निर्धारण, पालन न करने पर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रावधान किया गया है।

5. जनभागीदारी– सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सतत् निगरानी हेतु उचित मूल्य दुकान एवं जनपद स्तरीय निगरानी समितियों का गठन किया गया है।

6. नियमों का सरलीकरण एवं अनावश्यक प्रपत्रों एवं जानकारियों से मुक्ति।

7. उपभोक्ताओं के हित को संरक्षण करने के लिये जिला फोरमों की स्थापना।

8. नाप तौल विभाग में उपकरणों के सत्यापन मुद्रांकन तथा अनुज्ञप्ति दिये जाने अथवा नवीनीकरण की समय–सीमायें निर्धारित की गई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सूचना का अधिकार

कोई भी नागरिक उचित मूल्य दुकानों में संधारित किए जाने वाले राशनकार्ड रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर एवं विक्रय रजिस्टर की प्रतिलिपि रूपये 2.00 प्रति पृष्ठ के मान से शुल्क जमा कराकर आवेदक अधिकतम 3 माह पूर्व की जानकारी प्राप्त कर सकते है। जानकारी उपलब्ध कराने हेतु समय सीमा निर्धारित। जानकारी न देने पर जवाबदारी निर्धारण का प्रावधान। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दुकानों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र निम्नांकित स्थानों पर दिये जा सकते हैं:–

क्रमांक	स्थान जहां पर आवेदन किया गया है	समय–सीमा
1	दुकान चलाने वाली सोसायटी	15 दिवस
2	जिले के सहकारी बैंक की शाखा	30 दिवस
3	शहर का सहकारी उपभोक्ता भंडार	07 कार्यकारी दिवस
4	जिला खाद्य कार्यालय	30 दिवस
5	खाद्य संचालनालय	30 दिवस

आवश्यक वस्तु अधिनियम के कियान्वयन से संबंधित जानकारी

भारत सरकार के दाल भंडार नियंत्रण आदेश 1977 के अनुज्ञापन के प्रावधानों से प्रदेष के व्यापारियों/उत्पादकों एवं कमीषन अभिकर्ताओं को छूट प्रदत्त है।

मध्यप्रदेष चावल अधिप्राप्ति (उद्ग्रहण) आदेष 1970 के अंतर्गत प्रदेश में मिलर द्वारा क्रय धान से उत्पादित चावल का एक निष्चित प्रतिषत राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार भारतीय

खाद्य निगम को निर्धारित मूल्य पर लेव्ही में देने का प्रावधान है। चावल मिलर्स द्वारा निर्धारित मात्रा में कस्टम मिलिंग के उपरांत ही लेव्ही प्रदान करने की पात्रता होती है।

गेहूं, चावल, धान, एवं मोटे अनाज के साथ खाद्य तेल एवं तिलहनों के संव्यवहार पर कोई नियंत्रण आदेष लागू नही है तथा आवा–जाही पर भी कोई विभागीय प्रतिबंध नही है।

प्रदेश में वर्तमान में मुख्यतः निम्न नियंत्रण आदेश प्रभावशील हैं :

1. मध्यप्रदेश (खाद्य पदार्थ) वितरण नियंत्रण आदेश, 1960
2. मध्यप्रदेश (खाद्य पदार्थ) सार्वजनिक नागरिक पूर्ति स्कीम, 1991
3. मध्यप्रदेश चावल अधिप्राप्ति (उद्ग्रहण) आदेश, 1970
4. मध्यप्रदेश मिट्टी तेल व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979
5. म.प्र. मोटर स्प्रिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980
6. म.प्र. नाफ्था (अनुज्ञापन का नियत्रंण) आदेश, 2000
7. म.प्र. विलायक, रेफीनेट और स्लाफ (अनुज्ञापन का नियंत्रण) आदेश, 2000

निगरानी, मूल्य नियंत्रण एवं निरीक्षण तथा छापे

आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य स्तर पर प्रति सप्ताह वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कर प्रतिवेदित होने वाली कठिनाईयों का निराकरण किया जाता है।

नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा त्रुटिकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त अमला उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ सहकारिता एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा समय–समय पर संयुक्त अभियान चलाए जाते हैं। इस दिशा में कलेक्टरों से अपेक्षा की गई है कि वे आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, उनके मूल्यों, मारे गए छापों एवं अन्य विशेष घटनाओं की जानकारी नियमित रूप से संचालनालय को दें। संचालनालय द्वारा दो बड़े नगरों भोपाल से दैनिक एवं इंदौर से साप्ताहिक आवश्यक वस्तुओं की मूल्य सूची प्राप्त कर केन्द्र शासन को भेजी जाती है।

समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन

किसानों को उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों के पर्याप्त भंडारण के उद्देश्य से समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान, ज्वार, मक्का एवं बाजरा की खरीदी की जाती है।

प्रदेश में गेहूं की खरीदी भारतीय खाद्य निगम एवं मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से की जाती है। ज्वार, बाजरा, मक्का की खरीदी स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन द्वारा की जाती है।

इस खरीफ वर्ष में समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रदेष में जबलपुर संभाग के समस्त जिले म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन द्वारा रीवा संभाग के समस्त जिले तथा म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रदेश के शेष जिलों में धान उपार्जन का कार्य किया गया है। खरीदी गई धान की मिलिंग कराकर उससे निर्मित चावल भारतीय

खाद्य निगम के गोदामों में संग्रहित किया जाता है। इसके बदले में इन एजेन्सियों को भारतीय खाद्य निगम से निर्धारित इन्सिडेंटल एवं मिलिंग व्यय प्राप्त होते हैं। उपार्जन में लगी राज्य सरकार की एजेंसियों को भारतीय खाद्य निगम से वास्तविक व्ययों की पूरी प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती है जिसके कारण उन्हें इस कार्य में हानि होती है। राज्य सरकार इस हानि की अपने बजट प्रावधान के द्वारा प्रतिपूर्ति करती है। अवर्षा से प्रभावित क्षेत्रों के कृषकों को उनकी उपज का लाभ दिलाने की दृष्टि से भारत शासन से समर्थन मूल्य पर बाजरा एवं धान के उपार्जन हेतु गुणवत्ता के निर्धारित मापदण्डों से छूट प्राप्त की गई है।

केन्द्र शासन द्वारा वर्ष 2006–2007 में खाद्यान्नों के निम्नानुसार समर्थन मूल्य घोषित किए गए हैं :–

(रू. प्रति क्विंटल)

क्रमांक	खाद्यान्न	केन्द्र शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य
1	गेहूं	650 (वर्ष 2007–08 में रू. 750)
2	धान (कॉमन)	580
3	धान (ग्रेड 'ए')	610
4	बाजरा एवं ज्वार	540
5	मक्का	540
	2007–08	750

वर्ष 2006–07 के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी हेतु धान में रू. 40/– एवं गेहूं में रू. 50/– प्रति क्विंटल बोनस घोषित किया गया। विगत् वर्षों की तुलनात्मक समर्थन मूल्य की स्थिति परिशिष्ट 'चौदह' में दी गई है।

क्रमांक	खाद्यान्न का नाम	समर्थन मूल्य पर खरीदी गई मात्रा (मे.टन)
1	गेहूं	00
2	धान	104364 (20.02.2007 तक)

गत वर्षों की तुलना में खाद्यान्न उपार्जन की स्थिति परिशिष्ट 'चौदह' में दी गई है।

वर्ष 1999–2000 से राज्य में गेहूं का विकेन्द्रीकृत उपार्जन की योजना लागू की गई है। विकेन्द्रीकृत उपार्जन की योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन के माध्यम से उपार्जित गेहूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदाय किया जाता है। इससे जहां दोहरे हैण्डलिंग एवं परिवहन व्यय में बचत होकर व्यय में उल्लेखनीय कमी आई है, दूसरी ओर प्रदेश में ही उपार्जित गेहूं उचित मूल्य की दुकानों को मिलने से उपभोक्ताओं को भी गुणवत्ता का लाभ मिला है।

विगत् वर्षो की समर्थन मूल्य के अतंर्गत गेंहू एवं चावल की खरीदी की वर्षवार तुलनात्मक जानकारी परिशिष्ट 'पन्द्रह' मे दी गई है।

चावल उपार्जन

शासन द्वारा लेव्ही आदेश 1970 के अंतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2006–2007 में प्रदेश की चावल मिलों पर अरवा चावल के उत्पादन पर 40% लेव्ही देने का प्रावधान है। पिछले साल की तरह ही कस्टम मिलिंग उत्पादन क्षमता की 35 प्रतिशत रहेगी शेष चावल पर लेव्ही 40% रहेगी। व्यापारियों को लेव्ही से मुक्त रखा गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आवश्यकता को देखते हुए लेव्ही के रूप में केवल अरवा चावल ही लिया गया है । आधा टन की क्षमता की

चावल मिलों को ऐसी धान कुटाई पर छूट है जिसे एक किसान परिवार 6 क्विंटल तक कुटवाने के लिए लाता है। इसी प्रकार हलर्स द्वारा स्थानीय किसानों का धान कूटे जाने पर लेव्ही देय नहीं है बशर्ते कुटाई किसी वाणिज्यिक उद्देश्य से नहीं होनी चाहिए। लेव्ही व्यवस्था को मिलिंग के प्रावधान से जोड़ने का निर्णय लिया गया है अर्थात जो मिलर्स अनिवार्य रूप से कस्टम मिलिंग करेगें उन्हीं से लेव्ही में चावल लिया जायगा। एजेंसियों के पास उपलब्ध धान के स्टाक की मिलिंग समय सीमा में हो सके, इसको सुनिश्चित करने के लिये लेव्ही में एक लाट, कस्टम मिलिंग कर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चावल जमा कराने के उपरांत ही लिया जायेगा। दिनांक 20.2.2007 तक लेव्ही में 7584 मे0टन चावल प्राप्त हुआ है। गत वर्षों की तुलना में विवरणात्मक स्थिति परिशिष्ट 'सोलह' में दी गई है।

उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ताओं को स्वयं शोषण के विरूद्ध न्याय प्राप्त करने के लिये न्यायालय तो हैं, परन्तु वह अधिक खर्चीले तथा उसमें अधिक समय लगता था इसलिये उपभोक्ताओं को अपनी वाजिब षिकायत का कम खर्चीले, त्वरित तथा सुलभ तरीके से निराकरण करने के लिये वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया तथा आवष्यकतानुसार इसमें संषोधन किया जाता रहा है। इसमें तीन स्तरीय व्यवस्था है (1) राष्ट्रीय आयोग (2) राज्य स्तरीय विवाद प्रतितोषण आयोग (3) जिला उपभोक्ता फोरम।

राज्य शासन का प्रयास है कि शासन द्वारा उपभोक्ताओं के संरक्षण प्रदान करने की सुविधा को जनसामान्य तक पहुंचायें। इस मंशा से प्रदेश में एक राज्य स्तरीय उपभोक्ता मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को निःशुल्क कानूनी सलाह प्रदान करना है तथा जिलों में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता पर जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों के जनसामान्य को उपभोक्ता संरक्षण के प्रति जागृति उत्पन्न करने के लिये उपभोक्ता जागृति षिविर आयोजित करने के उद्देष्य से केन्द्रीय उपभोक्ता कल्याण निधि से वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

उपभोक्ता संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उदेदष्य से प्रतिवर्ष 15 मार्च को विष्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस राज्य स्तर एवं जिलों में आयोजन किया जाता है। राज्य स्तरीय आयोजन में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विभागों एवं आयामो द्वारा प्रदर्षनी लगाई जाती है जिसमें इस संबंध में जानकारी दी जाती है व शील्ड से पुरस्कृत किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित स्वैच्छिक संस्थाओं, व्यक्तियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते है, जिन्हें रूपये 30,000/- , 15,000/-तथा 5,000/- के तीन पुरस्कार दिये जाते हैं। इस अवसर पर उपभोक्ता संरक्षण पर राज्य स्तरीय पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को क्रमषः रू. 3,000, 2,000, 1,000 तीन पुरस्कार प्रदान किये जाते है। इसके अतिरिक्त संभाग स्तर पर भी उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों को तीन पुरस्कार रू. 3,000, 2,000 तथा 1,000 का पुरस्कार दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त नई पीढ़ी को भी उपभोक्ता संरक्षण की जानकारी के लिए स्कूलों में स्कूल उपभोक्ता क्लब स्थापित किये जा रही हैं। स्कूली शिक्षा में उपभोक्ता संरक्षण विषय शामिल किये जाने का प्रस्ताव है तथा कालेजों, अनुसंधान केन्द्रों व शैक्षाणिक संस्थाओं को इस पर कार्य के लिए केन्द्र की केन्द्रीय उपभोक्ता कल्याण निधि से अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए इन्हें प्रोत्साहित करने का निर्देश है।

प्रदेश में कार्यरत जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी को जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी भी घोषित किया गया है।

दुकान–सह–गोदाम का निर्माण

राज्य शासन द्वारा 50–50 मे.टन क्षमता के दुकान–सह–गोदाम का निर्माण कलेक्टर्स के माध्यम से कराया जाता है जिनके लिए राशि मांग संख्या 39, के अंतर्गत अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2006–07 में मांग संख्या 39, के अंतर्गत प्रदेश के 62 गोदामों के निर्माण हेतु कुल राशि रू0 1,58,59,000/– का प्रावधान स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 19 जिलो को आदिवासी क्षेत्रों एवं विशेष घटक योजना के अंतर्गत गोदाम निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिये 56 गोदामों के निर्माण हेतु राशि रू. 1,30,16,000/– का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

आयोडीनयुक्त नमक का वितरण

प्रदेश के 19 जिलों में 89 विकासखण्ड के अंतर्गत आयोडीनयुक्त नमक का वितरण का कार्य म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के माध्यम से कराया जा रहा है। इस हेतु वर्ष 2006–07 में राशि रू. 5,00,00,000/– का आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत प्रावधान स्वीकृत है।

संसदीय कार्य

वर्ष 2006 में विधान सभा प्रश्न– 312, ध्यानाकर्षण सूचना– 34, शून्यकाल सूचना– 03, आश्वासन– 06 सूचना क्रमांक– 15 कुल 370 प्राप्त हुए, जिनके उत्तर तैयार कर भेजे गये।

न्यायालयीन प्रकरण

उपलब्ध जानकारी के आधार पर माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय तथा प्रशासनिक अधिकरण के पूरे प्रदेश में विभाग से संबंधित माह दिसंबर 2006 तक प्राप्त प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार हैः–

क्र.	न्यायालय का नाम	कुल प्रकरण	जवाबदावा प्रस्तुत	निर्णय पारित	कुल प्रचलित प्रकरण
1	2	3	4	5	6
1.	सर्वोच्च न्यायालय	08	06	05	03
2.	उच्च न्यायालय	574	219	82	492
3.	प्रशासनिक अधिकरण	126	84	08	118
	योग	708	309	95	615

बिन्दु क्रमांक 3 में दर्षित राज्य प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 12.5.03 को जारी अध्यादेश की 3 (2) के अनुसार राज्य प्रशासनिक अधिकरण में लंबित प्रकरण म.प्र.उच्च न्यायालय को अंतरित किये गये हैं।

मान. सर्वोच्च न्यायालय में प्रचलित याचिका क्रमांक 196/2001 पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज विरूद्ध भारत शासन व अन्य में समय समय पर निर्णय पारित किये जाते हैं तथा याचिका क्रमांक 3249, 3250/2002 नागरिक उपभोक्ता मंच विरूद्ध भारत शासन (केरोसीन राउण्ड आफ राशि) में दिनांक 20.4.2004 को निर्णय पारित किया गया है।

महिला नीति 2003–2007

महिला नीति 2003–07 में विभाग से सीधे संबंधित कोई बिन्दु नही है। महिला नीति के अतंर्गत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 7–34/2002/29–1 दिनांक 19.1.2004 अनुसार संयुक्त संचालक, खाद्य को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है।

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान के पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए उचित मूल्य दुकान स्तर पर विभाग के पत्र क्रमांक 7–11/104/29–1 दिनांक 26.2.2004 द्वारा स्व–सहायता समूह की महिला अध्यक्ष को सदस्य के रूप समावेश किया गया है। शहरी क्षेत्र में महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार को उचित मूल्य दुकान आवंटित करने का प्रावधान है।

महिला नीति के अंतर्गत प्रदेश में संचालित पेट्रोल/डीजल पम्पों के समीपस्थ प्राथमिक सुविधाओं का लाभ दिये जाने के लिए महिला प्रसाधन निर्मित किये जाने के संबंध में भी कार्यवाही की जा रही है तथा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये जाने की योजना है जिसमें 3 पुरस्कार हैं। इनमें से एक महिला को दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

नापतौल (विधिक माप विज्ञान) स्थापना :

नापतौल स्थापना के नीतिगत दायित्व निम्नवत् हैं :–

1. नाप तौल से संबंधित अधिनियम तथा नियमों का परिपालन ।
2. व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक तथा मानव सुरक्षा में उपयोग में आने वाले उपकरणों की विषुद्धता (accuracy) बनाए रखना।
3. नापतौल उपकरणों का सत्यापन/मुद्रांकन हेतु षिविरों का आयोजन।
4. व्यापारिक संस्थानों की जांच एवं त्रुटिकर्ताओं के विरूद्ध नियमों के तहत कार्यवाही।
5. नापतौल उपकरणों के निर्माता, विक्रेता एवं सुधारकों को अनुज्ञप्तियां प्रदाय करना ।
6. नापतौल उपकरणों की संवेदनषील प्रयोगषालाओं का संधारण।
7. उपभोक्ताओं को नापतौल में संभावित षोषण से रक्षण।

विभागाध्यक्ष स्तर पर मुख्यालय भोपाल में नियंत्रक, संयुक्त नियंत्रक एवं दाषमिक अधिकारी पदस्थ हैं, 13 जिला स्तर पर उप /सहायक नियंत्रक एवं 65 जिला/तहसील स्तर पर निरीक्षक नापतौल के कार्यालय हैं ।

स्वीकृत पदों की स्थिति निम्नवत् है :–

(दिनांक 31.12.2006 की स्थिति में)

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद
1	नियंत्रक	1	1
2	संयुक्त नियंत्रक	1	1
3	उप नियंत्रक (जिला स्तर)	4	4
4	सहायक नियंत्रक (जिला स्तर)	9	7
5	दाषमिक अधिकारी	1	1

6	निरीक्षक	109	83
7	तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)	190	140
8	चतुर्थ श्रेणी	202	106
9	वाहन चालक	5	5

पदकम सूची की स्थिति

दिनांक 1.4.2006 की स्थिति में निम्नानुसार पदक्रम सूची (राज्य स्तरीय) जारी की गईः–

(1) राजपत्रित अधिकारी
(2) तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)
(3) तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)
(4) चतुर्थ श्रेणी
(5) वाहन चालक

विभाग का मुख्य कार्य व्यापारियों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग हो रहे नाप तौल उपकरणों का सत्यापन, पुनःसत्यापन एवं मुद्रांकन करना है। व्यावसायियों को अपने बांट माप उपकरणों को अधिक दूर न ले जाना पड़े, इस हेतु प्रदेष में पुनः सत्यापन/मुद्रांकन षिविरों का आयोजन किया जाता है। निरीक्षक नाप तौल इन षिविरों के आयोजन तथा पुनः सत्यापन हेतु पूर्णतः जिम्मेदार है।

प्रत्येक निरीक्षक कार्यालय में आउटडोर तथा इनडोर वर्किंग स्टैण्डर्ड लैबोरेटरी (प्रयोगषालाएं) स्थापित है। निरीक्षकों द्वारा आउटडोर वर्किंग स्टेण्डर्डस (कार्यकारी मानक) द्वारा सुदूर ग्रामीण अंचलों में आयोजित षिविरों में व्यापारियों के नाप तौल उपकरणों का सत्यापन एवं मुद्रांकन का कार्य किया जाता है।

बड़े जिला मुख्यालयों पर उप/सहायक नियंत्रकों के कार्यालय में उच्च क्षमतायुक्त सेकेण्डरी स्टेण्डर्ड से सुसज्जित 13 लेबोरेटरीज (प्रयोगषालाऐं) स्थापित हैं, जहां पर निरीक्षक कार्यालयों के उपर्युक्त वर्किंग (कार्यकारी) स्टेण्डर्डस का सत्यापन एवं मुद्रांकन का कार्य किया जाता है।

48 जिला मुख्यालयों एवं 16 तहसील मुख्यालयों में कुल 65 वर्किंग स्टेण्डर्डस (कार्यकारी मानक) लेबोरेटरीज (प्रयोगषालाऐं) यांत्रिक उपकरणों से सुसज्जित है जिनमें से वर्ष 2004–05 में 2 को एवं वर्ष 2005–06 में 13 प्रयोगशालाओं को इलेक्ट्रानिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है।

राजस्व आय

बांट और माप उपकरणों के सत्यापन, पुनः सत्यापन एवं मुद्रांकन किए जाने पर षासन को षुल्क के रूप में राजस्व आय की प्राप्ति होती है, इसके अलावा उपर्युक्त वर्णित अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत अपराध प्रकरणों से राजीनामा षुल्क एवं अन्य विविध कार्यों से षुल्क प्राप्त किया जाता है, जिसकी उपलब्धि वर्षवार अधोलिखित है :–

(राषि करोड़ रूपयों में)

वित्तीय वर्ष	प्राप्त आय
2002–2003	4.21

2003–2004	4.61
2004–2005	4.83
2005–2006	5.29
2006–2007 (दिसंबर 2006 तक)	2.29

अपराधों का पंजीयन

व्यावसायियों द्वारा त्रुटिपूर्ण बांट एवं माप उपकरणों के प्रयोग से, आम उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाए जाने के दृष्टिकोण से विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण एवं आकस्मिक रूप से छापे मारकर, इन संस्थानों की बाजार में स्थापित दुकानों, पेट्रोल पम्पों, रसोई गैस संस्थानों की जांच की जाती है। दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों एवं व्यावसायियों के विरूद्ध नाप तौल विधि एवं प्रक्रियाओं के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जाती है।

वित्तीय वर्ष	दर्ज अपराध प्रकरणों की संख्या
2002–2003	5721
2003–2004	6655
2004–2005	9618
2005–2006	10117
2006–2007(दिसंबर 2006 तक)	7140

अनुज्ञप्तियां

नाप तौल उपकरणों के निर्माण, विक्रय अथवा सुधार कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को नियमानुसार आवेदन करना जॉच एवं निर्धारित षुल्क प्राप्त कर अनुज्ञप्ति प्रदाय करना होती है।

बिना वैध अनुज्ञप्ति के नाप तौल उपकरणों का निर्माण, विक्रय एवं सुधार करना अवैधानिक है। अनुज्ञप्तियां प्राप्त करना, अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानित है। विभाग द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्तियों की संख्या अधोलिखित अनुसार है :–

1. निर्माता अनुज्ञप्ति 025
2. विक्रेता अनुज्ञप्ति 631
3. सुधारक अनुज्ञप्ति 494

न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति

प्राप्त सभी न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त है तथा 2 प्रकरणों को छोड़कर सभी प्रकरणों में जवाबदावे प्रस्तुत किए जा चुके है। न्यायालयीन प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:–

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय 03 (प्रवर्तन संबंधी)
2. माननीय उच्च न्यायालय 22 (स्थापना संबंधी)

13 (प्रवर्तन संबंधी)

संसदीय कार्यः–

वर्ष 2006 में विधान सभा एवं राज्य सभा से प्राप्त प्रष्नों की जानकारी समय पर भेजी गई। विवरण निम्नानुसार है–

विधान सभा प्रष्न–		
	तारांकित	21
	अतारांकित	26
	ध्यानाकर्षण सूचना	02
	अशासकीय संकल्प	–
राज्य सभा		–
लोक सभा		04

नापतौल कार्यालय का बजट

नापतौल कार्यालय का बजट मुख्यतः आयोजनेत्तर है। केन्द्र शासन एवं राज्य शासन से विषेष कार्यो के लिये प्राप्त राषियां आयोजना मद में स्वीकृत होती है। विगत 3 वर्षो में आयोजनेत्तर/आयोजना बजट में निम्नानुसार राषि स्वीकृत/व्यय हुई है :–

मांग संख्या 39 नाप–तौल

(राशि लाख रूपयों में)

स. क्रं.	वित्तीय वर्ष	बजट आयोजनेत्तर	व्यय आयोजनेत्तर	बजट आयोजना	व्यय आयोयना
1	2003–2004	420.18	330.50	7.00	–
2	2004–2005	423.29	371.19	25.00	24.60
3.	2005–2006	412.10	357.32	7.00	6.96

वर्ष 2006–2007 के लिये आयोजनेत्तर/आयोजना प्रावधान एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार हैः–

(राशि हजार रूपयों में)

क्र.	मद	बजट	व्यय(दिनांक 1.4.06 से 31.12.06 तक)
1.	**आयोजनेत्तर**		
	नापतौल विभाग		
	शीर्ष 3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें 106 भार और नाप का विनिमयन 6112–मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालय		
	मतदेय	432.71	283.15
	भारित	0.50	–
2.	**आयोजना**		

शीर्ष 3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें 0101– राज्य आयोजना सामान्य 6113–संभागीय कार्यालय का सुदृढ़ीकरण (नाप–तौल)	10.00	–

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

उपभोक्ता के षोषण को समाप्त करने व उपभोक्ताओं की वाजिब षिकायतों को कम खर्चीले, त्वरित, सरल तथा सुलभ तरीके से निराकरण करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य स्तर पर दिनांक 1.1.90 को भोपाल में मध्यप्रदेष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का गठन किया गया है जिसने दिनांक 01.09.90 से कार्य करना प्रारम्भ किया। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेष राज्य मे समस्त 45 जिला मुख्यालयों पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम गठित किए गए हैं जिसमें से 23 जिलों पर पूर्णकालिक एवं 22 जिलों पर अंषकालिक रूप से जिला फोरम कार्यरत हैं। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल के कैम्प कोर्ट, जबलपुर, इन्दौर तथा ग्वालियर में स्थापित किया गया है। ऐसी षिकायतें जिनका मूल्य रू. 20.00 लाख तक होता है, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। यदि षिकायत रूपये 20.00 लाख से रूपये 1.00 करोड़ तक के मूल्य की होती है तो ऐसी षिकायतों को राज्य आयोग के समक्ष उपभोक्ता कर सकता है। यदि कोई पक्षकार जिला फोरम के निर्णय/आदेष से असंतुष्ट होता है तो वह ऐसे आदेष के 30 दिन के भीतर राज्य आयोग में अपील प्रस्तुत कर सकता है। प्रदेष में राज्य आयोग तथा जिला उपभोक्ता फोरम सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। उपभोक्ताओं की षिकायतों का भलीभांति निराकरण इनके द्वारा किया जा रहा है। राज्य आयोग एवं जिला फोरम हेतु निम्नानुसार पद स्वीकृत हैं :–

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

कमांक	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या
1	अध्यक्ष	1
2	सदस्य	2
3	रजिस्ट्रार	1
4	प्रषासनिक अधिकारी	1
5	निज सचिव	1
6	अकाउण्टेन्ट	1
7	क्लर्क ऑफ कोर्ट	1
8	स्टेनोग्राफर	4
9	लायब्रेरियन	1
10	असिस्टेंट	2
11	स्टेनो टाइपिस्ट	1
12	रीडर	2
13	नाजिर कम रिकार्ड कीपर	1
14	आफिस मोहर्रिर कम डिस्पेचर	1
15	निम्न श्रेणी लिपिक	4
16	फाईलिंग क्लर्क	1
17	वाहन चालक	2

18	प्रोसेस सर्वर	1
19	भृत्य	9
20	फाईलिंग भृत्य	1
21	फर्राष	1
	योग	39

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम

क्र0	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या
1	अध्यक्ष	24
2	सदस्य	90
3	क्लर्क ऑफ कोर्ट	20
4	स्टेनोग्राफर	24
5	स्टेनो टाइपिस्ट	28
6	रीडर	24
7	नाजिर कम रिकार्ड कीपर	14
8	उच्च श्रेणी लिपिक लेखा का ज्ञान रखने वाला	20
9	आफिस मोहर्रिर कम डिस्पेचर	14
10	निम्न श्रेणी लिपिक	37
11	वाहन चालक	21
12	प्रोसेस सर्वर	19
13	भृत्य	76
14	फर्राष	24
	योग	435

वर्तमान में इन्दौर, उज्जैन, रीवा, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, सागर, होषंगाबाद, मुरैना, गुना, मंदसौर, सिवनी, धार, सतना, खण्डवा, षिवपुरी, भिण्ड, छिन्दवाड़ा, विदिषा, रतलाम, कटनी, दमोह तथा छतरपुर जिले में पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम कार्यरत हैं तथा सीधी, राजगढ़, शाजापुर, मण्डलेश्वर (खरगौन), देवास, सीहोर, बैतूल, बड़वानी, बालाघाट, शहडोल, पन्ना, झाबुआ, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, दतिया, रायसेन, उमरिया, डिण्डोंरी, हरदा, नीमच, श्योपुरकला कुल 22 जिलों में अंशकालिक उपभोक्ता फोरम कार्यरत हैं, जो पूर्णकालिक जिला फोरम से संबद्ध किये गये हैं। इस प्रकार प्रदेश के 45 जिला उपभोक्ता फोरम कार्यरत हैं। नवीन जिला बुरहानपुर, अशोक नगर एवं अनूपपुर में जिला फोरम के गठन की कार्यवाही चल रही है। (परिशिष्ठ उन्नीस)

केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में प्रदत्त एक मुश्त वित्तीय सहायता के अंतर्गत राज्य आयोग एवं जिला फोरमस् के अधोसंरचना हेतु रूपये 5.00 करोड़ स्वीकृत किया गया है। उक्त राशि से राज्य आयोग एवं जिला फोरमों को न्यूनतम आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराई गई है। राज्य आयोग तथा 35 जिला उपभोक्ता फोरम भोपाल, धार, गुना, सिवनी, छिन्दवाड़ा, सतना, मुरैना, होशंगाबाद, खण्डवा, दमोह, भिण्ड, रीवा, बालाघाट, नरसिंहपुर, मंदसौर, छतरपुर, दतिया, मण्डला, पन्ना, रतलाम, सागर, शाजापुर, शहडोल, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, ग्वालियर, देवास, इंदौर, मण्डलेश्वर, राजगढ़, बैतूल झाबुआ,ा सीहोर तथा श्योपुरकला के भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और नवीन भवनों में कार्य प्रारंभ हो चुका है अन्य 7 जिला फोरम विदिशा, कटनी, हरदा, रायसेन, डिण्डोंरी, नीमच तथा बड़वानी के भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिला

फोरम उमरिया तथा उज्जैन में हाल ही में भूमि का आवंटन हो चुका है, भवन निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना है। जिला फोरम जबलपुर का कार्य भूमि के आवंटन के अभाव में प्रारंभ नहीं हुआ है। साथ ही 3 नवगठित जिलों अशोकनगर, अनूपपुर तथा बुरहानपुर में भूमि का आवंटन नहीं होने के कारण भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।

भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के 7 जिला उपभोक्ता फोरम विदिशा, कटनी, हरदा, रायसेन, डिण्डोंरी, नीमच तथा बड़वानी के कार्यालय भवन निर्माण एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रूपये 1.05 करोड़ की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 में राज्य आयोग व जिला फोरमस् के भवनों के विस्तार अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा रूपये 449.52 लाख की वित्तीय सहायक उपलब्ध कराई गई है।

भारत सरकार द्वारा लगभग रूपये 85.00 लाख का प्रतिवर्ष व्यय किया जाकर तीन चरणों में राज्य आयोग एवं जिला फोरम को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु लगभग रूपये 2.55 करोड़ का व्यय किया जायेगा।

सभी जिला फोरम व राज्य आयोग को कम्प्यूटराइजड़ किये जाने की कार्यवाही प्रगति है व अधिकांश जिला फोरम में कम्प्यूटर्स स्थापित किये जा चुके हैं और उन्हें राज्य आयोग से इन्टरनेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है।

राज्य आयोग द्वारा प्रतिमाह विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिला फोरम से संपर्क कर समास्याओं का तत्काल निदान किया जाकर कार्य की प्रगति के बारे में भी मानीटरिंग की जाती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी म.प्र.राज्य आयोग की कार्य पद्धति की प्रशंसा करते हुए सभी राज्यों को अनुसरण करने हेतु निर्देश दिये हैं।

म.प्र.राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के समक्ष दिनांक 31.12.2006 की स्थिति में संस्थित प्रकरणों की संख्या 25115 (पच्चीस हजार एक सौ पन्द्रह) है तथा निराकृत प्रकरणों की संख्या 22744 (बाईस हजार सात सौ चवालिस) है। राज्य आयोग में दिनांक 31.12.2006 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या 2371 (दो हजार तीन सौ इकहत्तर) है। इस प्रकार राज्य आयोग द्वारा 90.55 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया गया है, जो राष्ट्रीय औसत का 66.29 प्रतिशत है। राज्य के 45 जिला फोरमों के समक्ष दिनांक 30.11.2006 की स्थिति में संस्थित प्रकरणों की संख्या 108000 (एक लाख आठ हजार) है तथा निराकृत प्रकरणों की संख्या 101090 (एक लाख एक हजार नब्बे) है। दिनांक 30.11.2006 की स्थिति में 6910 (छः हजार नौ सौ दस) प्रकरण लंबित हैं। इस प्रकार जिला फोरमस् द्वारा 93.60 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया गया है, जो राष्ट्रीय औसत का 88.23 प्रतिशत है।

विभाग का बजट

विभाग का बजट मुख्यतः आयोजनेत्तर है। केन्द्र षासन एवं राज्य षासन से विषेष कार्यों के लिए प्राप्त राषियां आयोजना मद में स्वीकृत होती है। वर्ष 2006–2007 के लिए आयोजनेत्तर/आयोजना बजट में निम्नानुसार राषि स्वीकृत है :–

(राषि हजार रूपयों में)

मांग संख्या – 39	आयोजनेत्तर	आयोजना

1. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	मतदेय	1,56,07,23	5,02,04
	भारित	2,00	0
2. म. प्र. राज्य उप. विवाद प्रतितोषण आयोग	मतदेय	5,03,33	0
3.नाप तौल	मतदेय	4,32,71	10,00
	भारित	0,50	0
योग मांग संख्या– 39	**मतदेय**	**1,65,43,27**	**5,12,04**
	भारित	**2,50**	**–**

वर्ष 2006–2007 के लिए आयोजनेत्तर/आयोजना से संबन्धित बजट प्रावधान/व्यय की विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :–

(राषि रूपयों में)

क्र.		मद आयोजनेत्तर–	बजट प्रावधान	व्यय (दिनांक 01.04.2006 से 31.12.06 तक)
		एक राजस्व अनुभाग		
		मांग संख्या–39–षीर्ष–2408–खाद्य भंडारण और भंडागारण–01–खाद्य		
1.		001–निर्देषन और प्रषासन		
	1.	1471–जिला कार्यालय मतदेय भारित	9,07,85,000 2,00,000	4,75,59,793 1,56,120
	2.	3537–मुख्य कार्यालय खाद्य संचालनालय मतदेय	1,36,19,000	85,97,497
	3.	6387–पुरस्कार योजना–51–अन्न प्रभार	3,66,000	0
	4.	629–उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ	5,03,33,000	2,75,54,432
	5.	6878–उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना	1000	0
		योग मतदेय भारित	15,51,04,000 2,00,000	8,37,11,122 1,56,120
2.		102–खाद्य सहायता		
	1.	570–सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सहकारी समितियों को खाद्यान्न की बिक्री से हानि की प्रतिपूर्ति	70,00,00,000	8,58,29,000
	2.	571–उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से आदिवासी परिवारों को सस्ता अनाज प्रदाय में मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को पूर्ति	1,000	0
	3.	3229–मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	9,00,00,000	3,59,86,289
	4.	3248–मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	8,00,00,000	0
	5.	5245–समर्थन मूल्य के अंतर्गत किसानों को बोनस	1,000	0
	6.	6645 अन्त्योदय योजना	35,00,00,000	26,00,06,837
		योग	1,22,00,02,000	38,18,22,126
3.		190–सहकारी क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता		
	1.	7442–गोदाम किराया की प्रतिपूर्ति	5,00,000	0
	2.	7886–मध्यान्ह भोजन सामग्री परिवहन	1,000	0

क्र.		मद आयोजनेत्तर–	बजट प्रावधान	व्यय (दिनांक 01.04.2006 से 31.12.06 तक)
		योग–2408–राजस्व अनुभाग मतदेय भारित	1,37,56,07,000 2,00,000	46,55,33,848 1,56,120
		दो –पूंजी अनुभाग		
4.		**शीर्ष– 4408– खाद्य भण्डारण और भण्डागार पर पूंजी परिव्ययः**		
		(02)– खाद्य भण्डारण और भण्डागार		
	1.	173–अन्न का क्रय (पहुंचविहीन क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण)	21,04,48,000	19,39,14,665
5.		शीर्ष 6408– खाद्य भण्डारण और भण्डागार के लिए कर्ज		
	1.	1074–खाद्यन्न उपार्जन हेतु म.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को ऋण	1,000	0
	2.	3349–म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन हेतु ऋण	2,50,00,000	0
		योग (पूंजी अनुभाग)	23,54,49,000	19,39,14,665
		नापतौल विभाग		
1.		शीर्ष 3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं – 106 तौल और माप का विनिमय		
	1.	6112–मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालय मतदेय भारित	4,32,71,000 50,000	2,65,31,000 0
	1.	6113–संभागीय कार्यालय का सुदृढ़ीकरण (नाप–तौल)	0	0
		योग मतदेय भारित	4,32,71,000 50,000	2,65,31,000 0
		कुल योग मांग संख्या–39 (आयोजनेत्तर) मतदेय भारित	1,65,43,26,000 2,50,000	68,59,79,513 1,56,120

		आयोजना–		
		एक – राजस्व अनुभाग		
1.		मांग संख्या 39–शीर्ष 2408–खाद्य भण्डारण और भण्डागार–01–खाद्य 0101 राज्य आयोजना सामान्य		
	1.	6242– सहकारी समितियों को मिट्टी तेल का संग्रहण हेतु टंकी निर्माण	1,93,02,000	78,64,453
	2.	6243–ग्रिड गोदाम निर्माण हेतु अनुदान	2,83,95,000	1,50,79,800
	3	आदिवासी उप योजना 6242– सहकारी समितियों को मिट्टी तेल का संग्रहण हेतु टंकी निर्माण	48,86,000	27,81,684
	4.	4994–102 अनुसूचित क्षेत्रों में गोडाउन ग्रिड का निर्माण	92,38,000	84,16,000
	5	विशेष घटक क्षेत्रों में 6242– सहकारी समितियों को मिट्टी तेल का संग्रहण हेतु टंकी निर्माण	53,50,000	39,71,234
	6.	4994–102 विशेष घटक क्षेत्रों में गोडाउन ग्रिड का निर्माण	37,80,000	37,80,000
		0801–केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य		0
	7	1590– विकेन्द्रीकत उपार्जन योजना	1,000	0
	8	9214–102 आयोडीन युक्त नमक का वितरण	5,00,00,000	5,00,00,000
		योग– शीर्ष 2408	12,09,52,000	9,18,93,171
		आयोजना–		

		एक – राजस्व अनुभाग		
		6242– सहकारी समितियों को मिट्टी तेल का संग्रहण हेतु टंकी निर्माण	2,86,000	0
		6243–ग्रिड गोदाम निर्माण हेतु अनुदान	22,20,000	0
		योग पूंजी अनुभाग	25,06,000	0
2.		**शीर्ष 3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें–0101–राज्य आयोजना सामान्य**		
	1.	6113–संभागीय कार्यालय का सुदृढ़ीकरण (नापतौल)	10,00,000	0
		योग – शीर्ष 3475	10,00,000	0
		योग– राज्य आयोजना	12,19,52,000	9,18,93,171

मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टी.पी.डी.एस.

1. ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. योजना

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. योजना में खाद्यान्न के प्रदाय की व्यवस्था सुनिष्चित कराई जा रही है। यह कार्य प्रदेष के 48 जिलों में 187 प्रदाय केन्द्रों के माध्यम से संपादित किया जा रहा है। योजनांतर्गत खाद्यान्न का उठाव भारतीय खाद्य निगम से कार्पोरेषन के अनुबंधित परिवहनकर्ताओं के माध्यम से परिवहन किया जाकर प्रदेष में संचालित राज्य/केन्द्रीय/विपणन संघ के गोदामों में संग्रहित कराया जाता है जहां से लीड सहकारी संस्थायें एवं शासकीय उचित मूल्य दुकानदार खाद्यान्न एवं शक्कर का उठाव कार्य करते हैं। ए.पी.एल. तथा बी.पी.एल. योजना के तहत 35 किलोग्राम प्रति राशनकार्ड खाद्यान्न वितरित किया जाता है।

2 शक्कर वितरण

शासन के निर्देषानुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवंटन अनुरूप निर्धारित दर व मिलो से शक्कर बुलवाई जाती है। कार्पोरेषन प्रदेष भर में फेले हुए वितरण केन्द्रों में शक्कर संग्रहित करता है तथा इन केन्द्रों से निर्धारित दर पर लीड व लिंक सोसायटीज को एक्स गोदाम दर पर शक्कर प्रदाय की जाती है, जो आगे हितग्राहियों को उपभोक्ता दर रूपये 13.50 प्रति किलो की दर से वितरित की जाती है।

3. अन्त्योदय अन्न योजना

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अति गरीब उपभोक्ताओं को प्रति राषन कार्ड रूपये 2/– प्रति किलो की दर से गेहूं एवं रूपये 3/– प्रति किलोग्राम के मान से चावल के वितरण की व्यवस्था सुनिष्चित कराई जा रही है। इस योजना के तहत प्रति राशनकार्ड पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदाय किया जाता है।

4. मध्यान्ह भोजन योजना

प्राथमिक शलाओं के छात्रों को दोपहर के भोजन के रूप में गर्म भोजन प्रदाय की व्यवस्था शासन द्वारा की जा रही है। स्कूली छात्रों को उनकी उपस्थिति के आधार पर प्रतिदिन 100 ग्राम खाद्यान्न प्रदाय किया जाता है। वर्ष भर में प्रदत्त आवंटन का 1/10 भाग प्रतिमाह के मान से प्रदाय किया जाता है। इस योजना के तहत सिविल स्पलाईज कार्पोरेशन के द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न का उठाव किया जाकर प्रदाय केन्द्रों तक पहुंचाया जाता है जहां से लीड संस्थाऐं उचित मूल्य दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाती है, तथा उचित मूल्य दुकानों से पालक शिक्षक संघ द्वारा खाद्यान्न का उठाव किया जाता है। योजनांतर्गत कार्य के संपादन हेतु भारत सरकार से क्लेम करने के लिए कार्पोरेशन को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

5. <u>कल्याणकारी योजना</u>

कल्याणकारी योजना के अंतर्गत निराश्रित व्यक्तियों की संस्थाओं शासकीय अथवा शासकीय सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों, मदरसों, वृद्धाश्रमों, नारी निकेतन, अनाथ आश्रमों तथा इसी प्रकार की अन्य कल्याणकारी संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाये जाने वाली संस्थाओं को खाद्यान्न प्रदाय की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाती है। इस योजना के तहत 15 किलोग्राम प्रति हितग्राही बी.पी.एल. दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

6. <u>पोषण आहार कार्यक्रम</u>

गेहूं आधारित पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार प्रदाय हेतु व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2003–04 से कार्य प्रारंभ किया गया है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा कार्पोरेशन के प्रदाय केन्द्रों से गेहूं प्राप्त कर दलिया बनाकर स्वसहायता समूहों के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रदाय करने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाती है। वर्ष 2006–07 से महिला बाल विकास विभाग द्वारा जारी आवंटन अनुसार कार्पोरेशन एवं प्रायवेट फर्मो के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न का उठाव करवाकर वितरण व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वसहायता समूहों को बीपीएल दर पर खाद्यान्न प्रदाय करने की व्यवस्था की जा रही है।

7. <u>सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना</u>

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यो में मजदूरी के एक अंश के रूप में खाद्यान्न प्रदाय की व्यवस्था के तहत भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न उठाकर कार्पोरेशन के प्रदाय केन्द्र तक खाद्यान्न परिवहन कर उपलब्ध कराया जाता है।

मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कार्पोरेषन भोपाल

एम.पी. स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन की स्थापना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेव्हलपमेंट एण्ड वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट 1956 के तहत फरवरी 1958 में हुई। इसकी गतिविधियां एम.पी. एग्रीकल्चरल वेयर हाउस एक्ट 1947 के तहत संचालित होती है। निगम के राज्य शासन एवं केन्द्रीय भंडारण गृह निगम 50–50 प्रतिशत अंशधारी है। राज्य पुनर्गठन के उपरांत निगम का समापन किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 12–1/2001/29–2(1), मध्य प्रदेष पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 58(4) सहपठित वेयरहाउसिंग कार्पोरेषन एक्ट–1962 की धारा–18(1) और धारा 40 में प्रदत्त शक्तियों के तहत और केन्द्रीय भण्डारण निगम (सी.डब्ल्यू.सी) की सहमति से, राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च 2003 से मध्य प्रदेष वेयरहाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कार्पोरेषन का गठन किया गया है। निगम की वर्तमान में 232 शाखाओं पर 11.73 लाख मे.टन औसत क्षमता माह दिसंबर 2006 तक की स्थिति में कार्यषील है। निगम का प्रमुख उद्देष्य कृषको/जमाकर्ताओं को अपने कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो, इसके लिये स्कंध के वैज्ञानिक भण्डारण हेतु गोंदामों का निर्माण करना तथा वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराना है। विगत 2 वर्षों की निगम की स्थिति निम्नानुसार है :–

(क्षमता लाख मे.टन में)

वर्ष	शाखाओं की संख्या	स्वयं की क्षमता	किराये की क्षमता	कुल क्षमता
2005–2006	232	9.78	2.10	11.88
2006–2007 (दिसंबर 2006 तक)	232	10.46	1.27	11.73

मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन की औसत भंडारण क्षमता (स्वयं की एवं किराये की) एवं औसत उपयोगिता निम्नानुसार रही है :–

(लाख मे.टन)

वर्ष	शाखाओं की संख्या	निगम की स्वयं की औसत भंडारण क्षमता	किराये की औसत भंडारण क्षमता	कुल संचित औसत भंडारण क्षमता	कुल औसत उपयोगिता	औसत उपयोगिता का प्रतिशत
2005–06	232	9.78	2.10	11.88	9.46	80
2006–2007 (दिसंबर 2006 तक)	232	10.46	1.27	11.73	8.47	72

निगम में सहकारी संस्थाओं, शासन एवं शासनाधिकृत संस्थाओं, व्यापारियों एवं कृषकों द्वारा जो स्कन्ध जमा किया गया उसकी वास्तविक उपयोगिता का प्रतिशत निम्नानुसार है :–

वर्ष	सहकारी संस्थाऐं	शासन एवं अन्य शासनाधिकृत संस्थाऐं	व्यापारी	कृषक
2005–2006	22.40	51.29	17.69	8.62
2006–2007 (दिसंबर 06 तक)	36.00	26.05	27.38	10.57

निगम में लाभ की स्थिति निम्नानुसार है:–

(रूपये लाख में)

वर्ष	आय	व्यय	लाभ (कर पूर्व)
2005–2006	3945.61	2576.30	1369.31
2006–2007 (दिसंबर 06 तक)	2682.72	1987.85	694.87

वर्ष 2005–06 के माह दिसंबर 2005 तक आउण्ट स्टेण्डिंग की राशि रूपये 242.11 लाख थी तथा वर्ष 2006–07 में माह दिसंबर 2006 आउण्ट स्टेण्डिंग की राशि रूपये 243.09 लाख रह है।

निगम द्वारा कृषकों को वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधा का लाभ पहुंचाते हुए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सामान्य कृषकों हेतु 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु 40 प्रतिशत भण्डारण शुल्क में रियायत 100 बोरों पर प्रदान की जाती थी, लेकिन वर्तमान में कृषकों को भण्डार गृह निगम में स्कंध संग्रहित करने के दृष्टिकोण से भण्डारण शुल्क में यह रियायत 200 बोरे तक कर दी गई है।

निगम द्वारा कृषकों एवं अन्य जमाकर्ताओं को सोयाबीन भण्डारण हेतु भण्डारण शुल्क में 25 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।

निगम द्वारा 27 भण्डार गृह शाखाओं पर केरोसीन भण्डारण योजना का एम.ओ.यू. नागरिक आपूर्ति निगम से निष्पादित किया गया है, जिनमें से 12 स्थानों पर कार्य पूर्ण करके वर्तमान में 10 भण्डार गृह शाखाओं यथा शाखा इछावर, लटेरी, तराना, जयसिंहनगर, भुआविछिया, संबलगढ़, कराहल, विजयपुर, पिछोर एवं आरौन पर केरोसीन भण्डारण के लिए डिपो प्रारंभ कर दिये गये हैं।

निगम 9 मई, 2006 से द्वारा आई.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाणित संस्था के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में निगम द्वारा आई.एस.ओ. 14001:2004 पर्यवरण पद्धति के लिए प्रयासरत है।

निगम के प्रधान कार्यालय एवं 6 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 40 भण्डार गृह शाखाओं को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु प्रकिया संपादित की गई है।

निगम द्वारा वर्ष 2005–06 में 72600 मे.टन क्षमता के गोदाम निर्माण किये गये हैं। वर्ष 2006–07 में निगम द्वारा 85700 मे.टन क्षमता के गोदाम निर्माण होना संभावित है। निगम द्वारा भण्डारण हेतु अधिकाधिक स्वनिर्मित वैज्ञानिक क्षमता का उपयोग किये जाने पर जोर दिया जा रहा है।

विकेन्द्रीकरण एवं प्रशासकीय दक्षता बढ़ाने के दृष्टिकोण से निगम द्वारा रीवा क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है।

निगम द्वारा बैंक आफ इंडिया एवं स्टेट बैंक आफ इंदौर के साथ स्कंध जमाकर्ता कृषकों, व्यापारियों एवं अन्य जमाकर्ताओं को उनके जमा स्कंघ के समक्ष जारी वेयर हाउस रसीद की प्रतिभूति पर बैंकों द्वारा वित्तीय सुविधा (बैंक ऋण) उपलब्ध कराने का एम.ओ.यू. किया गया है, जिससे प्रदेश के जमाकर्ताओं ने लाभ उठाते हुए अब तक जमा स्कंध पर वेयर हाउस रसीद की प्रतिभूति पर लगभग रूपये 1112.37 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त की है।

श्री गंगा नगर (राजस्थान) में नये नैफेड के लिए 10000 मे.टन क्षमता के गोदाम काम्पलेक्स गोदाम निर्माण कार्य करने के लिए Turnkey basis पर अनुबंध निष्पादित किया गया।

म.प्र.फार्म एवं बीज विकास निगम से भी रीवा एवं बाबई में उनके गोदाम निर्माण कार्य डिपाजिट वर्ग पर इस निगम द्वारा किया जा रहा है। शासन के निर्देशों का परिपालन करते हुए विभिन्न पदों पर विशेष भरती अभियान के तहत कार्यवाही की गई है।

म.प्र.शासन की नीति अनुसार म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 के इस निगम

के साथ किये जा रहे कार्य के सफल संचालन हेतु निगम अपनी 179 भण्डार गृह शाखाओं पर स्कंध भण्डारण का कार्य संपादित कर रहा है।

जमाकर्ताओं के हित में उनके भण्डारित स्कंध का काम्प्रीहेन्सिव्ह बीमा निगम द्वारा कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आग के अतिरिक्त अन्य बाढ़, आंधी, तूफान, ओले, दंगे, आन्दोलनों इत्यादि जोखिमों का भी बीमा कराया जाता है।

राज्य शासन द्वारा एम.पी. एग्रीकल्चर वेयर हाउस रूल्स 1961 के प्रावधान में संशोधन कर प्रबंध संचालक, म.प्र.वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन को भण्डारण लायसेंस हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त किया है। निगम द्वारा प्रायवेट वेयर हाउसिंग को प्रोत्साहन के लिए अब तक कुल 15,87,174 मे.टन क्षमता के लिए कुल 670 उद्यमियों को लायसेंस जारी किये गये हैं।

पेस्ट कन्ट्रोल से प्रशिक्षित 15 अधिकारियों लायसेंस प्राप्त हो चुके हैं।

फयूमीगेशन आपरेटर के प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास में डायरेक्टर जनरल नेशनल इन्स्ट्टीटयूट मार्केटिंग जयपुर को निगम द्वारा पुनः अनुरोध किया गया है।

निगम द्वारा वर्तमान में बी.ओ.टी. योजना के अंतर्गत 15 शाखाओं क्रमशः मण्डीदीप, पिपरिया, उज्जैन, जबलपुर–3, रतलाम, सतना, गुना, शिवपुरी, खरगौन, ब्यौहारी, दमोह, रहली, गडरवारा, पगारा एवं शहडोल में वेब्रिज स्थापित किये जावेगे।

निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में दिनांक 31.12.2006 तक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सवंर्ग में कुल 610 में से 213 अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाया गया।

——————

परिशिष्ट 'एक'

प्रदेश में स्थित भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो

क्र.	भारतीय खाद्य निगम	क्रं.	राजस्व जिले	प्रदाय केन्द्र बीपीएल/ एएवाय/ एमडीएम	बेस डिपो के नाम
1	ग्वालियर	1	ग्वालियर		1.ग्वालियर ग्वालियर
		2	भिण्ड		
		3	मुरैना		2. मुरैना मुरैना
		4	शिवपुरी		
		5	श्योपुरकलॉ	1.श्योपुरकलॉ	
		6	दतिया		3. दतिया
		7	गुना		4.अशोकनगर अशोकनगर
		8	अशोकनगर		
2	इंदौर	9	इंदौर		5. इंदौर इंदौर इंदौर
		10	धार	2.धामनोद 2.धामनोद	
		11	बडवानी		
		12	झाबुआ झाबुआ	3.मेघनगर 4.अलीराजपुर	6.मेघनगर
		13	खण्डवा		7.खण्डवा खण्डवा
		14	बुरहानपुर		
			खरगौन	5.खरगौन	
3	उज्जैन	15	उज्जैन		8.उज्जैन
		16	रतलाम		9.रतलाम रतलाम रतलाम
		17	मंदसौर		
		18	नीमच		
		19	देवास		10. देवास
		20	शाजापुर		देवास/ उज्जैन
4	भोपाल	21	बैतूल		11 बैतूल
		22	भोपाल		12.भोपाल
		23	सीहोर		भोपाल/ इटारसी
		24	होशंगाबाद		13. इटारसी
		25	हरदा		इटारसी

क.	भारतीय खाद्य निगम	कं.	राजस्व जिले	प्रदाय केन्द्र बीपीएल / एएवाय / एमडीएम	बेस डिपो के नाम
			राजगढ़		भोपाल / देवास
5	सागर	26	रायसेन		भोपाल विदिशा / सागर
		27	सागर सागर		सागर 14. बीना
		28	विदिशा		15.विदिशा
		29	दमोह		16. दमोह
		30	नरसिंहपुर		17.नरसिंहपुर 18. गाडरवाड़ा
6	सतना	31	सतना		19.सतना
		32	पन्ना		सतना / कटनी
		33	सीधी	6.सीधी	सतना
		34	रीवा		20. रीवा
		35	टीमकगढ़		21. निवाड़ी
		36	छतरपुर		22. हरपालपुर
7	जबलपुर	37	जबलपुर		23. जबलपुर
		38	मण्डला	7.मण्डला	
		39	डिण्डोंरी	8.डिण्डोंरी 9.शाहपुरा	
		40	सिवनी	10.सिवनी 11.लखनादौन	
		41	कटनी		24. कटनी
		42	उमरिया		25. शहडोल / कटनी
		43	शहडोल		शहडोल
		44	अनूपपुर		शहडोल
			छिन्दवाड़ा	13.छिन्दवाड़ा / पाण्डुर्ना	
			बालाघाट	14.बालाघाट	
			योग	14 +	25 = 39

परिशिष्ट 'दो'

प्रदेश में स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के जिलेवार प्रदाय केन्द्र

कमांक	जिला	प्रदाय केन्द्रों की संख्या	प्रदाय केन्द्रों का नाम
1	भिण्ड	04	भिण्ड, गोहद, मेहगांव, लहार
2	मुरैना	06	मुरैना, अम्बाह, पोरसा, जौरा, कैलारस, संबलगढ़,
3	श्योपुरकलॉ	02	विजयपुर, श्योपुरकलॉ
4	ग्वालियर	03	ग्वालियर, डबरा, भाण्डेर
5	शिवपुरी	03	शिवपुरी, करेरा, पिछोर
6	गुना	04	गुना, राघौगढ़, आरोन, बीनागंज
7	अशोकनगर	02	अशोकनगर, मुंगावली
8	दतिया	02	दतिया, सेंवड़ा
9	इंदौर	04	इंदौर, महू, देपालपुर, सांवेर
10	धार	06	धार, बदनावर, कुक्षी, धामनोद, मनावर, राजगढ़
11	झाबुआ	05	झाबुआ, मेघनगर, अलीराजपुर, पेटलावद, जोबट
12	खरगौन	06	खरगौन, बड़वाह, सनावद, कसरावद, भीकनगांव, करही,
13	बड़वानी	04	सेंधवा, बड़वानी, अंजड़, पानसेमल
14	खण्डवा	03	खण्डवा, छनेरा(हरसूद) खालवा
15	बुरहानपुर	01	बुरहानपुर
16	उज्जैन	06	उज्जैन, महिदपुर, तराना, खाचरोद, बड़नगर, नागदा
17	मन्दसौर	04	मन्दसौर, शामगढ़, पिपल्यामंडी, सीतामऊ
18	नीमच	02	नीमच, मनासा
19	रतलाम	04	रतलाम, जावरा, आलोट, सैलाना
20	देवास	06	देवास, हाटपीपल्या, सोनकच्छ, खातेगांव, कन्नौद, बागली
21	शाजापुर	07	शाजापुर, शुजालपुर, नलखेड़ा, आगर, सुसनेर, कालापीपल, अकोदिया
22	भोपाल	02	भोपाल, बैरसिया
23	बैतूल	04	बैतूल, मुलताई, भैंसदेही, आठनेर
24	सीहोर	05	सीहोर, आष्टा, नसरूल्लागंज, इछावर, बुधनी
25	रायसेन	09	रायसेन, सलामतपुर, उदयपुरा, गैरतगंज, बाड़ी, बरेली, सिलवानी, औबेदुल्लागंज, बेगमगंज
26	विदिशा	06	विदिशा, गंजबासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी, शमषाबाद
27	राजगढ़	05	राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़ सारंगपुर, खिलचीपुर
28	होशंगाबाद	05	होशंगाबाद, इटारसी, पिपरिया, बानापुरा, सोहागपुर,
29	हरदा	03	हरदा, खिरकिया, टिमरनी
30	सागर	05	सागर, खुरई, बीना, देवरी, रहली,
31	दमोह	03	दमोह, हटा, तेन्दूखेडा,
32	टीकमगढ़	03	टीकमगढ़, निवाडी, जतारा
33	छतरपुर	05	छतरपुर, हरपालपुर, बड़ामल्हेरा, लोड़ी, चंदला
34	पन्ना	04	पन्ना, पवई, अजयगढ़, अमानगंज
35	जबलपुर	01	जबलपुर
36	कटनी	02	कटनी, सिहोरा,
37	नरसिंहपुर	04	नरसिंहपुर, गोटेगांव, करेली, गाडरवारा
38	छिन्दवाड़ा	03	छिन्दवाड़ा, पाण्ढूर्ना, सोंसर

39	सिवनी	03	सिवनी, लखनादौन, धूमा
क्रमांक	जिला	प्रदाय केन्द्रों की संख्या	प्रदाय केन्द्रों का नाम
40	मण्डला	04	मण्डला, नैनपुर, बिछिया, निवास,
41	डिंडोरी	01	डिंडोरी
42	बालाघाट	05	बालाघाट, वारासिवनी, बैहर कटंगी, लालबर्रा
43	रीवा	03	रीवा, चाकघाट, मउगंज
44	सतना	04	सतना, नागौद, मेहर, अमरपाटन
45	सीधी	05	सीधी, बैढ़न, देवसर, चितरंगी, मझौली
46	शहडोल	04	शहडोल, बुढार, ब्यौहारी, जयसिंहनगर
47	अनूपपुर	03	अनूपपुर, कोतमा, राजेन्द्र ग्राम
48	उमरिया	02	उमरिया, मानपुर
योग		187	

परिशिष्ट 'तीन'

प्रदेश में लीड एवं लिंक समितियों की संभागवार/जिलेवार जानकारी

क्रमांक	जिले का नाम	लीड समितियों की संख्या	लिंक समितियों की संख्या
1.जबलपुर संभाग			
1	जबलपुर	11	67
2	कटनी	10	54
3	छिन्दवाड़ा	10	163
4	मण्डला	07	45
5	डिंडोरी	04	44
6	सिवनी	10	59
7	बालाघाट	09	464
8	नरसिंहपुर	06	104
2.भोपाल / होशंगाबाद संभाग			
1	विदिशा	07	154
2	राजगढ़	08	139
3	रायसेन	14	112
4	सीहोर	05	126
5	बैतूल	15	91
6	होशंगाबाद	08	238
7	हरदा	03	204
8	भोपाल	02	34
3.इंदौर संभाग			
1	इंदौर	05	143
2	धार	02	94
3	झाबुआ	07	89
4	खरगौन	08	129
5	बड़वानी	04	55
6	खण्डवा	09	177
7	बुरहानपुर	04	52
4.ग्वालियर/चंबल संभाग			
1	शिवपुरी	10	89
2	गुना	06	92
3	अशोकनगर	06	106
4	दतिया	03	79
5	भिण्ड	10	168
7	मुरैना	08	168
6	श्योपुरकलां	04	74
7	ग्वालियर	04	76
5.उज्जैन संभाग			
1	उज्जैन	07	170
2	देवास	06	171
3	शाजापुर	05	392

4	रतलाम	04	103
5	मन्दसौर	07	104
6	नीमच	03	68
6.सागर संभाग			
1	सागर	18	178
2	दमोह	08	102
3	पन्ना	08	88
4	टीकमगढ़	06	87
5	छतरपुर	15	113
7.रीवा संभाग			
1	रीवा	16	151
2	सतना	17	168
3	सीधी	13	93
4	शहडोल	07	37
5	उमरिया	04	38
6	अनूपपुर	06	24
	योग	369	5776

परिशिष्ट 'चार'

<u>लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत</u>
<u>उचित मूल्य दुकानों से वितरित की जाने वाली वस्तुओं की वर्तमान में</u>
<u>उपभोक्ता दरें</u>

(प्रति किलो / लीटर)

कमांक	वस्तु	ए0पी0एल0	बी0पी0एल0	ए0ए0वाय0
1	2	3	4	5
1	गेहूं	7.00	5.00	2.00
2	चावल	9.20	6.50	3.00
3	शक्कर	–	13.50	13.50
4	मिट्टी तेल	रू0 8.86 से 9.97 पैसे कलेक्टर्स द्वारा निर्धारित		

परिशिष्ट 'पांच

खाद्यान्न आदि की प्रदाय मात्रा

क्रमांक	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत	ए.पी.एल.	बी.पी.एल.	अन्त्योदय अन्न योजना
1	खाद्यान्न (गेहूं/चावल)	35 किलो प्रतिमाह सामान्य राशनकार्ड पर	35 किलो प्रति माह प्रति परिवार नीले राशन कार्ड पर एवं छात्रों को 15 किलो खाद्यान्न	इस योजना के अंतर्गत अति गरीब परिवारों को पीले राशनकार्ड पर 35 किलो खाद्यान्न प्रति माह
2	शक्कर	—	500 ग्राम से 1000 ग्राम प्रति सदस्य	500 ग्राम से 1000 ग्राम प्रति सदस्य
3	मिट्टी तेल	4 लीटर शहरी क्षेत्र में तथा 4 लीटर ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिमाह राशनकार्ड पर तथा 2 लीटर हाट बाजार में बिना राशनकार्ड, किन्तु जिनके पास सिंगल बाटल कनेक्शन हैं, उन्हें निर्धारित मात्रा की आधी मात्रा दी जायेगी तथा जिनके पास डबल बाटल कनेक्शन है, उन्हें मिट्टी तेल प्राप्त करने की पात्रता नहीं है।		

परिशिष्ट 'छह'

<u>उचित मूल्य दुकानें</u>

क्रं.	जिले का नाम	शहरी	ग्रामीण	योग
1	2	3	4	5
1	भिण्ड	242	432	674
2	मुरैना	124	168	292
3	श्योपुरकला	18	162	180
4	ग्वालियर	183	228	411
5	शिवपुरी	68	626	694
6	गुना	54	154	208
7	दतिया	40	177	217
8	अशोकनगर	29	161	190
9	इन्दौर	345	167	512
10	धार	55	544	599
11	झाबुआ	24	323	347
12	खरगौन	56	398	454
13	बडवानी	50	217	267
14	खण्डवा	56	259	315
15	बुरहानपुर	59	109	168
16	उज्जैन	161	395	556
17	मंदसौर	40	336	376
18	नीमच	49	217	266
19	रतलाम	90	284	374
20	देवास	88	306	394
21	शाजापुर	60	332	392
22	भोपाल	271	127	398
23	बैतूल	40	503	543
24	सीहोर	39	251	290
25	रायसेन	28	438	466

क्रं.	जिले का नाम	शहरी	ग्रामीण	योग
1	2	3	4	5
26	विदिशा	67	380	447
27	राजगढ	42	310	352
28	होशंगाबाद	83	309	392
29	हरदा	48	171	219
30	सागर	119	643	762
31	दमोंह	41	390	431
32	टीकमगढ	90	428	518
33	छतरपुर	81	569	650
34	पन्ना	19	315	334
35	जबलपुर	466	538	1004
36	कटनी	76	384	460
37	नरसिंहपुर	26	270	296
38	छिन्दवाडा	88	490	578
39	सिवनी	24	344	368
40	मंडला	20	337	357
41	डिडोंरी	4	176	180
42	बालाघाट	38	422	460
43	रींवा	88	631	719
44	सतना	82	713	795
45	सीधी	55	636	691
46	शहडोल	36	354	390
47	उमरिया	15	218	233
48	अनूपपुर	26	231	257
	कुल योग	3903	16573	20476

परिशिष्ट 'सात'

मध्यप्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतंर्गत प्रचलित ए.पी.एल एवं बी.पी.एल राशनकार्डो की जानकारी दिनांक 31.12.2006 की स्थिति में

क्रं.	जिलें का नाम	ए.पी.एल	बी.पी.एल
1	2	3	4
1	भिण्ड	216844	59408
2	मुरैना	298673	57803
3	श्योपुरकला	116415	23824
4	ग्वालियर	297266	36699
5	शिवपुरी	205070	113998
6	गुना	158906	60038
7	दतिया	105405	24724
8	अशोकनगर	158426	49499
9	इन्दौर	583384	103962
10	धार	257122	188731
11	झाबुआ	106124	151271
12	खरगौन	262968	151470
13	बडवानी	131155	96823
14	खण्डवा	191781	82975
15	बुरहानपुर	80624	95526
16	उज्जैन	312932	167693
17	मंदसौर	172274	81934
18	नीमच	136100	59869
19	रतलाम	211759	84658
20	देवास	191066	87004
21	शाजापुर	176292	19265
22	भोपाल	420519	100491
23	बैतूल	181519	123017
24	सीहोर	128658	66028
25	रायसेन	222511	94544
26	विदिशा	219766	124843
27	राजगढ	134868	117375

क्रं.	जिलें का नाम	ए.पी.एल	बी.पी.एल
1	2	3	4
28	होशंगाबाद	171886	87155
29	हरदा	61796	30057
30	सागर	239710	244445
31	दमोंह	112142	113098
32	टीकमगढ	148548	99614
33	छतरपुर	154515	100035
34	पन्ना	123663	63048
35	जबलपुर	397694	95385
36	कटनी	161289	110543
37	नरसिंहपुर	96635	105422
38	छिन्दवाडा	234067	75175
39	सिवनी	169143	103565
40	मंडला	80220	35316
41	डिडोंरी	69407	45294
42	बालाघाट	171151	98009
43	रींवा	296965	176297
44	सतना	222358	146050
45	सीधी	257752	131170
46	शहडोल	92056	51125
47	उमरिया	66282	45618
48	अनूपपुर	63002	52357
कुल योग		**9068708**	**4432250**

नोटः–निराश्रित एवं अनुसूचित/जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के छात्रों के राशनकार्ड को भी बी.पी.एल. श्रेणी में माना गया है।

परिशिष्ट 'आठ'

अन्त्योंदय अन्न योजना अतंर्गत जिलों को दिया गया चरणवार लक्ष्य एवं जारी राशन कार्ड

क्रं.	जिला	लक्ष्य				योग 3+4+5+6	जारी किये गये कार्ड
		मूल	प्रथम	द्वितीय	तृतीय		
1	भिण्ड	7869	3325	4206	4206	19606	17764
2	मुरैना	6378	3459	2592	3125	15554	15438
3	श्योपुरकला	4466	16027	22927	2189	45609	41763
4	ग्वालियर	8415	9643	3420	5523	27001	25933
5	शिवपुरी	10341	24861	4203	8567	47972	56273
6	गुना	10558	20003	4296	5179	40036	29565
7	दतिया	2769	1478	1125	2127	7499	7442
8	अशोकनगर	7150	11317	2901	3498	24866	24866
9	इन्दौर	13193	4687	5362	6465	29707	26087
10	धार	16096	5718	6542	7887	36243	36243
11	झाबुआ	17174	6101	6980	8415	38670	38670
12	खरगौन	14971	5318	6085	7336	33710	33372
13	बडवानी	12977	4610	5274	6359	29220	29220
14	खण्डवा	12880	4363	4899	5906	28048	28002
15	बुरहानपुर	6577	2548	3008	3627	15760	15760
16	उज्जैन	12435	4417	5054	6093	27999	27994
17	मंदसौर	8339	2962	3389	4086	18776	18776
18	नीमच	5668	2013	2304	2777	12762	12762
19	रतलाम	9913	3522	4029	4857	22321	22000
20	देवास	12260	4355	4983	6007	27605	27605
21	शाजापुर	11583	4115	4708	5676	26082	26082
22	भोपाल	18714	6648	7610	9170	42142	41355
23	बैतूल	14201	5044	5772	6958	31975	28549
24	सीहोर	9237	3281	3812	4526	20856	20322
25	रायसेन	14631	5197	5947	7169	32944	34164
26	विदिशा	11740	4170	4772	5752	26434	25977
27	राजगढ	13721	4874	5577	6723	30895	30895

28	होशंगाबाद	9316	3309	3786	4565	20976	20786
क्र.	जिला	लक्ष्य				योग 3+4+5+6	जारी किये गये कार्ड
		मूल	प्रथम	द्वितीय	तृतीय		
29	हरदा	3496	1242	1421	1713	7872	7872
30	सागर	25689	9125	10441	12587	57842	56187
31	दमोंह	16593	5894	6743	8130	37360	37360
32	टीकमगढ	11762	4178	4780	5763	26483	26483
33	छतरपुर	15836	5625	6436	7760	35657	35234
34	पन्ना	12086	4293	4912	5922	27213	26620
35	जबलपुर	27860	9897	11323	13651	62731	64375
36	कटनी	5955	2115	2420	2918	13408	13408
37	नरसिंहपुर	12728	4521	5173	6237	28659	28659
38	छिन्दवाडा	21686	8038	10395	10626	50745	51035
39	सिवनी	15574	5532	6330	7631	35067	35067
40	मंडला	19314	10779	12180	9674	51947	52059
41	डिडोंरी	6788	5951	5133	3326	21198	21098
42	बालाघाट	27426	12069	11608	16939	68042	67691
43	रींवा	32885	11682	13365	16113	74045	67490
44	सतना	24824	8818	10089	12164	55895	55895
45	सीधी	25223	8960	10251	12359	56793	56793
46	शहडोल	9986	8662	14297	8238	41183	41183
47	उमरिया	5728	8302	6538	9327	29895	29883
48	अनूपपुर	7352	3350	4302	3258	18262	18262
कुल योग		**632363**	**316398**	**303700**	**329104**	**1581565**	**1556319**

परिशिष्ट 'नौ'

प्रदेश में गत वर्षों की तुलना में मिट्टी तेल के आवंटन/उठाव की वर्षवार स्थिति

(मात्रा के.एल. में)

क्रमांक	वर्ष	आवंटन	उठाव
1	2001	662967	661865
2	2002	643914	643914
3	2003	628866	628778
4	2004	616609	615031
5	2005	639891	631884
6	2006	628646	627231

परिशिष्ट 'दस'

पेट्रोलियम कंपनियों के पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा एल.पी.जी. डीलर्स की जानकारी

क्रमांक	ऑयल कंपनी का नाम	पेट्रोल/डीजल पम्प	केरोसीन डीलर्स	एल.पी.जी. डीलर्स
1	आई.ओ.सी.	593	162	260
2	बी.पी.सी.	425	59	122
3	एच.पी.सी.	340	64	118
4	आई.बी.पी.	90	17	–
5	रिलायंस	81	00	–
6	एस्सार	63	00	–
	योग	1592	302	500

परिशिष्ट 'ग्यारह'

केरोसीन डिपो की जानकारी

कमांक	स्थान	जिला	आई.ओ.सी.	बी.पी.सी.	एच.पी.सी.	आई.बी.पी.
1	निशातपुरा/बकानिया	भोपाल	01	01	01	00
2	मांगलियागांव	इंदौर	01	01	01	00
3	रायरू	ग्वालियर	01	01	01	00
4	भिटौनी	जबलपुर	01	01	01	00
5	देहरी (इटारसी)	होशंगाबाद	01	00	00	00
6	रतलाम	रतलाम	01	00	01	00
7	नरियावली	सागर	01	00	01	00
8	जयन्त	सीधी	01	00	00	00
	योग		08	04	06	00

परिशिष्ट 'बारह'

पेट्रोलियम कंपनियों के एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांट

कमांक	बॉटलिंग प्लांट	आई.ओ.सी.	बी.पी.सी.	एच.पी.सी.	योग
1	बकानिया भौरी भोपाल	1	–	–	1
2.	गटिया उज्जैन	1	–	–	1
3	ताल राघोगढ़ गुना	1	–	–	1
4	भिटौनी जबलपुर	–	1	–	1
5	पीथमपुर धार	–	1	–	1
6	मांगलिया इंदौर	–	–	1	1
7	मनेरी मण्डला	–	–	1	1
	योग	3	2	2	7

परिशिष्ट 'तेरह'

पायलट प्रोजेक्ट जन केरोसीन परियोजना के चयनित विकासखण्ड एवं नियुक्त डीलरों की सूची

क्रमांक	जिला	ब्लाक का नाम	वर्तमान स्थिति
1	श्योपुरकला	1. कराहल	योजना कार्यरत।
		2. विजयपुर	योजना कार्यरत।
2	शिवपुरी	3. करैरा	योजना कार्यरत
		4. पिछोर	योजना कार्यरत
3	मण्डला	5. बिछिया	योजना कार्यरत
4	टीकमगढ़	6. पलेरा	न्यायालय स्थगन
		7. बलदेवगढ़	विस्फोटक लायसेंस प्राप्त। न्यायालय से स्थगन।
5	उज्जैन	8. तराना	माह जनवरी 2006 से प्रारंभ।
6	विदिशा	9. लटेरी	माह जनवरी 2006 से प्रारंभ।
		10. ग्यारसपुर	योजना कार्यरत।
7	गुना	11. आरोन	योजना कार्यरत
8	मुरैना	12. सबलगढ़	योजना कार्यरत
9	शहडोल	13. जयसिंह नगर	माह जनवरी 2006 से प्रारंभ।
10	झाबुआ	14. उदयगढ़	योजना कार्यरत।
11	बड़वानी	15. सेंधवा	योजना कार्यरत।
12	भिण्ड	16. गोहद	योजना कार्यरत।
13	छिन्दवाड़ा	17. सौंसर	योजना कार्यरत।
14	दमोह	18. जवेरा	योजना कार्यरत।
15	धार	19. मनावर	योजना कार्यरत।
16	ग्वालियर	20. भितरवार	योजना कार्यरत।
17	जबलपुर	21. पनागर	योजना कार्यरत।
18	खण्डवा	22. छनेरा	योजना कार्यरत।
19	खरगौन	23. कसरावद	योजना कार्यरत।
20	सिवनी	24. लखनादौन	योजना कार्यरत।
21	पन्ना	25. पवई	योजना कार्यरत।
		26. शाहनगर	योजना कार्यरत।
22	रायसेन	27. उदयपुरा	योजना कार्यरत।
23	रतलाम	28. जावरा	योजना कार्यरत।
24	सागर	29. बीना	योजना कार्यरत।
25	मंदसौर	30. गरोठ	आयल कंपनी द्वारा निरस्त।
26	सीहोर	31. इछावर	योजना कार्यरत। कुल–28

परिशिष्ट 'चौदह'

समर्थन मूल्य के अंतर्गत खाद्यान्न खरीदी की दरों की तुलनात्मक जानकारी

(प्रति क्विंटल रूपयों में)

क्र.	खाद्यान्न	1998–99	1999–2000	2000–2001	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
1	गेहूं	455+80	550+10	580	610	620	620+10	630	640	650
2	धान–कॉमन	440+20	490	510	530	530+20	550	560	570	580
	फाईन	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	सुपरफाईन	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ग्रेड 'ए'	470	520	540	560	560+20	580	590	600	610
	स्वर्णा	440+30	490	–	–	–	–	–	–	–
3	ज्वार	390+20	415	445	485	485+05	505	515	525	540
4	बाजरा	390+20	415	445	485	485+10	505	515	525	540
5	मक्का	390+20	415	445	485	485+05	505	525	540	540

1. + भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003–04 के लिये घोषित विषेष सूखा राहत मूल्य।
2. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 के लिये समर्थन मूल्य के अंतर्गत खरीदी हेतु गेहूं के लिए रूपये 50/– एवं चावल के लिए रू. 40/– प्रति क्विंटल की दर से बोनस की घोषणा की गई है।

परिशिष्ट 'पन्द्रह'

समर्थन मूल्य के अंतर्गत खाद्यान्न उपार्जन

(मात्रा मे.टन में)

(दिनांक 20.2.2007 तक)

खाद्यान्न	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
धान	263789	64538.3	148623	40252	129552	104364
ज्वार	2890	2936	798	–	218	–
बाजरा	10339	0	87	320	0	–
मक्का	43088	27	20177	1305	2788	–
गेहूं	317024	435369	348713	348713	484351	–

परिशिष्ट ''सोलह ''

प्रदेश में चावल उपार्जन के आंकड़ें

(मात्रा मे.टन में)

(20.2.2007 की स्थिति में)

वर्ष	2001—02	2002—03	2003—04	2004—05	2005—06	2006—07
चावल	156458	29805	21252	2115	10584	7584

परिशिष्ट 'सत्रह'

प्रदेश में कार्यरत जिला उपभोक्ता विवाद फोरम की जानकारी

(31.12.2006 की स्थिति में)

क्रमांक	पूर्णकालिक जिला फोरम	क्रमांक	अंशकालिक जिला फोरम
1	मुरैना	1	सीधी
2	ग्वालियर	2	राजगढ़
3	गुना	3	शाजापुर
4	इंदौर	4	मंडलेश्वर (खरगौन)
5	खण्डवा	5	देवास
6	उज्जैन	6	सीहोर
7	मंदसौर	7	बैतूल
8	भोपाल	8	बड़वानी
9	होशंगाबाद	9	बालाघाट
10	सागर	10	शहडोल
11	जबलपुर	11	पन्ना,
12	सिवनी	12	झाबुआ
13	रीवा	13	नरसिंहपुर
14	सतना	14	टीकमगढ़
15	धार	15	दतिया
16	छिन्दवाड़ा	16	रायसेन
17	शिवपुरी	17	उमरिया
18	विदिशा	18	डिंडोरी
19	भिण्ड	19	हरदा
20	रतलाम	20	नीमच
21	कटनी	21	श्योपुर कलां
22	छतरपुर	22	मण्डला
23	दमोह		

<u>सारांश</u>

सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेट वर्क में भारतीय खाद्य निगम के 39 बेस डिपो, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के 187 प्रदाय केन्द्र, 369 लीड एवं 5776 लिंक सहकारी समितियां एवं 20476 उचित मूल्य दुकान एवं 29 चलित वाहन सम्मिलित है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 44.32 लाख परिवारों को रियायती दरों पर वर्ष 2006 में प्रतिमाह गेहूं 61510 मै.टन एवं चावल 28106 मै.टन वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया।

वर्ष 2001 में अन्त्योदय अन्न योजना एवं अन्नपूर्णा योजना प्रदेश में लागू की गई। अन्त्योदय अन्न योजना अंतर्गत 15.56 लाख हितग्राहियों को 54757 मै.टन खाद्यान्न प्रतिमाह वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया। प्रदेश के पहुंचविहीन क्षेत्रों में वर्षाकाल से पूर्व वर्ष 2006–07 में रूपये 21.04 करोड़ 1649 केन्द्रों हेतु खाद्यान्न के भंडारण हेतु उपलब्ध कराए गए।

विभाग द्वारा समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत वर्ष 2006 में गेहूं की बाजार में किसानों को अधिक कीमत मिलने के कारण समर्थन मूल्य अंतर्गत गेहूं की खरीदी नही हुई है एवं दिनांक 31.1.2007 तक 95202 मै.टन धान का उपार्जन एजेंसियों के माध्यम से किया गया।

नियंत्रक नाप तौल कार्यालय द्वारा दिसंबर 2006 तक 7140 अपराधों का पंजीयन कर उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण का कार्य किया तथा दिसंबर, 2006 तक 2.29 करोड़ रूपये राजस्व आय संग्रहित की।

उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु प्रदेश के 23 जिलों में पूर्णकालिक तथा 22 जिलों में अंशकालिक जिला फोरम कार्यरत है। राज्य आयोग द्वारा दिसम्बर 2006 तक कुल दर्ज 25115 प्रकरणें में से 22744 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा जिला उपभोक्ता फोरमों द्वारा दिनांक 30.11.2006 तक कुल दर्ज 108000 प्रकरणों में से 101090 प्रकरणों का निराकरण किया गया।